आईएसएसएन : 2457-015X

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

अक्तूबर 2021- मार्च 2022
वर्ष 34 ❖ अंक 01

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

संपादक मंडल

संरक्षक

साधना वर्मा
मुख्य महाप्रबंधक, राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

अध्यक्ष

श्रीमोहन यादव
मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

प्रबंध संपादक

काज़ी मुहम्मद ईसा
महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

उप प्रबंध संपादक

डॉ. सुशील कृष्ण गोरे
उप महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

कार्यकारी संपादक

नितिन देसाई
उप महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

सदस्य-सचिव

राहुल राजेश
प्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

सदस्य

ब्रिज राज
महाप्रबंधक
विनियमन विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
केंद्रीय कार्यालय,
मुंबई

एस. सी. रथ
महाप्रबंधक एवं
संकाय, रिज़र्व बैंक
स्टाफ महाविद्यालय,
चेन्नै

डॉ. आशीष श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक
एवं संकाय,
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय,
पुणे

दिवाकर झा
सहायक महाप्रबंधक
एवं संकाय,
स्टेट बैंक ग्रामीण
बैंकिंग संस्थान,
हैदराबाद

राजीव जमुआर
सहायक महाप्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ
इंडिया, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल
मुंबई-400051
कॉर्पोरेट ईमेल: rajbhashaco@rbi.org.in
chintananuchintan@rbi.org.in
फोन: 022-26572801

संपादकीय सहयोग

राधेश्याम मिश्र
सहायक महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

कला सहयोग

अभय मोहिते
सहायक प्रबंधक
डीईपीआर
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा, महाप्रबंधक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व),मुंबई – 400051 के लिए संपादित और प्रकाशित।

इंटरनेट (https://www.rbi.org.in/hindi) पर भी उपलब्ध।

सदस्य
ABCI
Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

अक्तूबर 2021-मार्च 2022

वर्ष 34 ❖ अंक 01

संपादकीय

भाषण

❖ आर्थिक बहाली का स्वरूप – **शक्तिकांत दास**

आलेख

❖ बैड बैंक की सार्थकता – **सतीश सिंह**

❖ सरकारी प्रतिभूतियाँ : एक विहगावलोकन – **नौशाबा हसन**

❖ कोविड-19 महामारी में डिजिटल बैंकिंग का वैश्विक प्रभाव : एक विश्लेषण – **नरेंद्र कुमार**

❖ मानव संसाधन प्रबंधन में डिजिटल बैंकिंग की भूमिका – **संजय कुमार**

❖ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया : दो दशकों का सफर – **सहाना राजाराम** *एवं* **अरुण कुमार पांडे**

❖ पैसे की विकास यात्रा – **अमरवीर सरन दास**

स्थायी स्तंभ

❖ रेग्युलेटर की नज़र से – **ब्रिज राज**

❖ घूमता आईना

राष्ट्रीय खंड – **डॉ. करुणेश तिवारी**

अंतरराष्ट्रीय खंड – **डॉ. गौतम प्रकाश**

***

इस पत्रिका के लेखों में दिये गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

***

*लेआउट, साज-सज्जा और टाइप-सेटिंग : **राहुल राजेश***

[सभी चित्र इंटरनेट से साभार]

संपादकीय...

प्रिय पाठकगण !

आपसे पुन: एक बार संवाद करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। इस बार हमारे साथ वसंत है। फाग है। सबसे बड़ी बात कि महामारी का दौर निकलने के बाद का अभय है। एक लंबे सर्द समय के बाद जीवन में उत्सव और उल्लास लौटा है। ईश्वर करे मनुष्यता के लिए नए सपनों और नयी आशाओं का यह नया सिलसिला बिना रुके, बिना थमे आगे सदियों तक चलता रहे।

मित्रो! पिछले संस्करण के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों में उत्पादकता के नए अंकुर फूटने लगे हैं और कृषि, उत्पादन और सेवा क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन तेजी से बेहतर प्रदर्शन करने लगा है। सरकार और रिज़र्व बैंक की तमाम नीतिगत पहल के सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित होने लगे हैं। स्पष्ट है कि कठिन समय में सभी पक्षों को राहत पहुँचाने के लिए किए गए उपायों से समस्त आर्थिक गतिविधियों को बहुत बल मिला है और वे महामारी के फंदे से बाहर निकल रही हैं।

वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सबसे गहरे संकुचनों के बाद वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 13.7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। हमारी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों ने उत्पादन के महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर लिया था। उसके बाद ऑमिक्रॉन वैरिएंट के कारण जनवरी में शुरू हुई महामारी की तीसरी लहर ने थोड़े समय के लिए दुनिया को एक बार फिर संशय और दुश्चिंता में डाल दिया। लेकिन, इसका दुष्प्रभाव आर्थिक बहाली की प्रक्रिया को उस हद तक बाधित नहीं कर सका, जितना दूसरी लहर के समय हुआ था। इसका श्रेय भारत में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के साथ-साथ वित्तीय एवं मौद्रिक समर्थन को जाता है।

इस दौरान रिज़र्व बैंक ने चलनिधि की कमी को कम करने, बाज़ार में विश्वास बहाल करने और वित्तीय बाज़ार के अन्य क्षेत्रों में संक्रामकता को रोकने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाकर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बैंकिंग और गैर-बैंक वित्तीय दोनों क्षेत्रों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को भी मजबूत किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर महोदय के 10 फरवरी के मौद्रिक नीति वक्तव्य का संदर्भ लें तो अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से मौजूदा समष्टि-आर्थिक स्थिति और संभावनाओं के आकलन के आधार पर अभी भी मौद्रिक नीति का निभावकारी रुख बनाए रखते हुए, नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रूप से 4 प्रतिशत रखा गया है ताकि मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखते हुए टिकाऊ आधार पर अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को मजबूती प्रदान की जा सके। इसके अलावा, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर तथा रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गयी है।

गवर्नर महोदय ने अपने इस वक्तव्य के अंत में कठिन चुनौतियों के बीच भी आशावाद को बनाए

रखने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि पिछले दो वर्षों के अनुभवों ने हमें विनम्र रहना सिखाया है, लेकिन साथ ही अपने आत्म-विश्वास पर दृढ़ रहना है, कभी भी साहस और आशावाद को नहीं खोना है। उन्होंने इस आशावाद को महान पार्श्वगायिका स्व. लता मंगेशकर की अमर आवाज में गाए एक प्रसिद्ध गीत: "आज फिर जीने की तमन्ना है" का उदाहरण देकर रेखांकित किया।

*पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देश की जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षण संदेशों का प्रचार करने के लिए **"डिजिटल चुनो, सुरक्षा के साथ"** विषय पर 14 से 18 फरवरी, 2022 तक **वित्तीय साक्षरता सप्ताह** मनाया गया। यह विषय वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025 का एक प्रमुख कार्यनीतिक उद्देश्य है। इस अभियान के अंतर्गत सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सूचना का प्रसार करें और अपने ग्राहकों तथा आम जनता के बीच डिजिटल लेन-देन की सुविधाएं, डिजिटल लेन-देन की सुरक्षा और ग्राहकों का संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाएं।*

वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2022 को संसद में पेश किया गया जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में पूंजीगत खर्च को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपये करने, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी (डिजिटल रुपया) की शुरुआत करने, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाने, राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस पर टैक्स राहत की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किए जाने का एलान किया गया। इसके अलावा देश के सभी डाकघरों को सीबीएस प्लेटफॉर्म पर लाकर डिजिटल पेमेंट से जोड़ने, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए सीजीटीएमएसई में नए सिरे से सुधार लाने, ईसीएलजीएस का दायरा बढ़ाने, हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने हेतु हरित बांड जारी करने, तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों (सनराइज सेक्टर) के लिए मिश्रित वित्तपोषण (ब्लेंडेड फाइनांस) आदि के बारे में घोषणाएं की गयी हैं। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, पी एम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सड़क, पीएम किसान, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आदि के लिए पिछले वर्ष से अधिक बजट प्रावधान किया गया है।

सरकार एवं रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे इन सकारात्मक प्रयासों से निश्चित रूप से कृषि, उद्योग, उत्पादन, व्यापार, रोजगार एवं उद्यमशीलता को बल मिलेगा और धीरे-धीरे कोविड-19 संबंधी सभी प्रकार के प्रतिबंधों के हटाए जाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी पूरी तरह से बहाल होकर तेजी से प्रगति करने लगेगी। बैंकों और ग़ैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा समाज के हर तबके को उनके रोजी-रोजगार से जुड़ी आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को अपना पूरा समर्थन दिए जाने से न केवल महामारी के दंश से निजात मिलेगी बल्कि कारोबारी स्तर पर भी वित्तीय बाजारों की खोयी हुयी चमक वापस लौटेगी।

*हम इसी आशावाद के साथ पत्रिका का यह नया अंक अपने सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें हर बार की तरह इस बार भी आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्तरीय एवं सुरुचिपूर्ण आलेख प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा, **रेग्युलेटर की नज़र से** तथा **घूमता आईना** जैसे नियमित स्तंभों के अंतर्गत देश-*

देशांतर के नवीनतम बैंकिंग एवं वित्तीय घटनाक्रम की पठनीय जानकारियां दी गयी हैं।

सदैव की भांति इस अंक के संयोजन एवं संपादन में हमें अपने विद्वत संपादक मंडल के वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्यों का पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला है। इस अंक में भी विषयों की विविधता और प्रासंगिकता को संतुलित करते हुए आलेखों का समावेश किया गया है।

*इस अंक के मुख्य आकर्षण के रूप में पाठकों के लिए **आर्थिक बहाली का स्वरूप** विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर महोदय के एक महत्वपूर्ण भाषण को संकलित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण आलेखों में सतीश सिंह का **बैड बैंक की सार्थकता**, नौशाबा हसन का **सरकारी प्रतिभूतियाँ : एक विहगावलोकन**, नरेंद्र कुमार का **कोविड-19 महामारी में डिजिटल बैंकिंग का वैश्विक प्रभाव : एक विश्लेषण**, संजय कुमार का **मानव संसाधन प्रबंधन में डिजिटल बैंकिंग की भूमिका**, सहाना राजाराम एवं अरुण कुमार पांडे का **क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया : दो दशकों का सफ़र** तथा अमरवीर सरन दास का **पैसे की विकास यात्रा** को शामिल किया गया है।*

हमें आशा है कि बैंकिंग एवं आर्थिक जगत के सामयिक मुद्दों पर विशेषज्ञता, छानबीन, विश्लेषण और नवीनतम आंकड़ों के साथ लिखे गए ये आलेख सुधी पाठकों का ध्यान आकृष्ट करेंगे और उनको एक व्यापक आर्थिक परिदृश्य के समकालीन संदर्भों में सोचने-समझने की नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे।

इस बहुमूल्य योगदान के लिए हम सभी लेखकों और स्तंभकारों के प्रति आभारी हैं।

मुझे आशा है कि पत्रिका का यह नवीनतम अंक आपकी अपेक्षाओं एवं मूल्यांकन की कसौटी पर हर बार की तरह खरा उतरेगा। आपका कोई सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका पढ़ने के बाद एक पत्र लिखकर जरूर भेजें।

पाठक का पत्र ही वह सबसे बड़ा आलेख होता है जिसे कोई लेखक किसी पत्रिका के अगले अंक में सबसे पहले अपनी उत्सुक दृष्टि से देखता है। पाठकों की सच्ची प्रतिक्रिया लेखक की रचनात्मक ऊर्जा में सबसे बड़े एवं उत्प्रेरक निवेश का काम करती है।

आप सबको अशेष शुभकामनाओं सहित !

- काज़ी मु. ईसा
प्रबंध संपादक एवं महाप्रबंधक

भाषण

आर्थिक बहाली का स्वरूप

- शक्तिकांत दास
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

(16 नवंबर, 2021 को 8वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकॉनामिक्स कॉनक्लेव, मुंबई में दिया गया उद्घाटन भाषण)

मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग एंड इकॉनामिक्स कॉनक्लेव में एक बार फिर आकर खुशी हो रही है। इस गरिमापूर्ण सभा को संबोधित करने हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं एसबीआई के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। इस वर्ष के कॉनक्लेव का विषय 'कोविडोत्तर विश्व में आर्थिक बहाली का परिदृश्य' समसामयिक और प्रासंगिक- दोनों है। समसामयिक इसलिए कि इतनी जद्दोजहद और परेशानियों का सामना करने के पश्चात, संभव है कि हम कोविडोत्तर विश्व के द्वार पर दस्तक दे रहे हों। प्रासंगिक इसलिए क्योंकि इतने व्यापक पैमाने का संकट न केवल अर्थव्यवस्था को बल्कि आर्थिक बहाली के स्वरूप को भी पुनः आकार प्रदान करेगा।

उम्मीद है, हमारे जीवनकाल में और यहाँ तक कि भविष्य की पीढ़ियों में भी, हम कोविड-19 से ज्यादा बड़े संकट का सामना नहीं करेंगे। इसलिए, किसी संकट से कुछ सीखने का मौका नहीं गँवाने वाली भावना से, हमें महामारी के अनुभवों से सीखते हुए, ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा अघात-सह अर्थव्यवस्था बनानी है। आज मैं अपने संबोधन में कॉनक्लेव के विषय पर चर्चा करूंगा।

2. वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा पिछले दो वर्षों से कोविड-19 का बंधक बना हुआ है। विषाणु की गिरफ्त से मानवता और इसके साथ-साथ अर्थव्यवस्थाओं को भी बचाने के लिए, वैक्सीन तक तीव्रतर और समानतापूर्ण पहुँच ही एकमात्र आशा रही है। इस मोर्चे पर भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं और प्रौद्योगिकी से चालित सार्वजनिक सेवा का एक उज्ज्वल उदाहरण है।

इतने बड़े पैमाने पर टीका उत्पादन करते हुए, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है, भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। यह उन सबों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का क्षण है, जिन्होंने इसे संभव कर दिखाया है। बेहतर टीकाकरण और घटते संक्रमण से अस्पतालों में भर्ती और मृत्यु जैसे स्वास्थ्य संबंधी चरम परिणामों में काफी कमी आई है। इससे उपभोक्ता आत्मविश्वास को बल मिला है। त्योहारी उमंग और दमित माँग से भी अतिरिक्त बल मिलने से, कई

उच्च-बारंबारता संकेतक यह इंगित कर रहे हैं कि आर्थिक बहाली कायम हो रही है।

सतत संवृद्धि की तलाश

3. यद्यपि यह देखना सुखद है कि विनाशकारी दूसरी लहर के बाद, अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर धीरे-धीरे दुबारा खड़ी हो रही है, तथापि आर्थिक बहाली असमान तरीके से आगे बढ़ी रही है। संपर्क-गहन सेवाएं, हालिया समय में तेज सुधार के बावजूद, अब भी अपनी खोई हुई क्षमता वापस हासिल नहीं कर पाई हैं। 2021-22 की पहली तिमाही की जीडीपी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019-20 के कोविड-पूर्व स्तरों की तुलना में, निजी उपभोग और निवेश, दोनों में अब भी उल्लेखनीय अंतर बना हुआ है। इसलिए, हालांकि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, इसे व्यापक आधार वाली और गहरी होने से पहले, अभी बहुत अधिक जमीन नापनी है। यह निरंतर प्रोत्साहन की आवश्यकता की ओर इंगित करता है ताकि संवृद्धि महामारी-पूर्व रुझान तक लौट आए या इससे आगे बढ़ पाए।

4. मुझे दृढ़ विश्वास है कि महामारी-पश्चात परिदृश्य में भारत के पास पर्याप्त ऊंची गति से संवृद्धि हासिल करने की क्षमता है। कई कारक भारत के पक्ष में खड़े हैं। पहला, उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत के पास सकारात्मक जनसांख्यिकी, बेहतर होते कौशल आधार और मजबूत घरेलू माँग के बूते बाकी दुनिया के समकक्ष खड़ा होने की उल्लेखनीय क्षमता है। दूसरा, सरकार उत्पादन बढ़ाने, आपूर्ति बाधाओं को दूर करने और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अन्य संस्थागत बदलावों के अलावा, खासकर पूँजीगत व्यय और अवसंरचना, विनिर्माण और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के माध्यम से सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। तीसरा, महामारी ने डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकी में विकास के नए अवसर खोल दिये हैं। साथ ही, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के रिसेट होने से भी नए अवसर खुले हैं क्योंकि यह भारत के हक में लाभदायक हो सकता है। चौथा, हाल के महीनों में निर्यात एक चमकदार बिन्दु रहा है और वैश्विक आर्थिक बहाली से इसे और फायदा हो सकता है।

ऐसी सक्षमकारी स्थितियों और समर्थक नीतियों की मौजूदगी से, मुझे कोई संदेह नहीं है कि महामारी से उबरते हुए, हमारे पास अपनी संवृद्धि को तीव्र करने का विशिष्ट अवसर है। इन मुद्दों में से कुछेक मुद्दों पर मैं और विस्तार से बात करना चाहता हूँ।

निजी उपभोग – संवृद्धि की रीढ़

5. समग्र माँग के सबसे बड़े हिस्से (जीडीपी का लगभग 56 प्रतिशत) का योगदान करते हुए, निजी माँग हमारे देश की समावेशी, स्थायी और संतुलित संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। महामारी के दौरान समाज के निचले स्तरों पर रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों और कामगारों ने आय और रोजगार में बहुत अधिक नुकसान झेला है और इसकी भरपाई होने में समय लगेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) का अनुमान है कि 70 प्रतिशत से भी कम उभरती अर्थव्यवस्थाएँ 2022 के अंत तक भी 2019 के रोजगार-स्तरों को हासिल कर पाने में सक्षम हो पाएँगी। भारत में, मनरेगा[1] के अंतर्गत काम की माँग कोविड-पूर्व स्तर से करीब 10 मिलियन अधिक है, जो यह बताता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में बहाली को अभी काफी दूरी तय करनी होगी। अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए, खासकर अवसंरचना

क्षेत्र में ठेके का न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने और इनको परियोजनाओं की अवधि से जोड़ देने से संभवतः रोजगार निश्चितता और उपभोग बढ़ेगा। छोटे कारोबारों पर भी भारी चोट पड़ी है और इससे उबरने तथा रोजगार की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी।

6. ऐसे संकेत हैं कि त्योहारी मौसम से उत्प्रेरित होकर उपभोग माँग जोरदार वापसी कर रही है। इससे फर्मों को अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों के बीच क्षमता में विस्तार करने और रोजगार तथा निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के सीमा शुल्क में और कई राज्य सरकारों द्वारा मूल्य-वर्धित कर (वैट) में की गई हालिया कटौती से लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ेगी, जो फिर अतिरिक्त उपभोग के लिए गुंजाइश पैदा करेगी। क्या हम अनुक्रिया के एक सुचक्र के मुहाने पर खड़े हैं जहां मांगों के उच्चतर संवेग और अनुकूल आपूर्ति कार्रवाई एक साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था की सतत संवृद्धि को सुनिश्चित करेंगे? इस मोर्चे पर आशान्वित बने रहने के कारण हैं।

7. निवेश को पुनर्जीवित करना

भारत की संवृद्धि की संभावना को फलीभूत करने के लिए निजी निवेश को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए हैं। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, कर-सुधार, 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए कार्यनिष्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना, सरकार द्वारा अवसंरचना विकास और आस्ति मौद्रिकरण पर बढ़ा हुआ फोकस, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा पहल और आरबीआई द्वारा अग्रसक्रिय चलनिधि उपाय शामिल हैं। उत्साहजनक यह है कि हालिया अवधि में निवेश गतिविधियों में प्रगति देखी गई है। पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात जैसे अग्रणी निवेश संकेतक सितंबर, 2021 में महामारी-पूर्व स्तर से ऊपर रहे हैं। 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए फर्मों के शुरुआती परिणाम, निविष्टि लागत दबावों के बावजूद मजबूत बिक्री और आघात-सह लाभप्रदता दर्शाते हैं। ऐसे रुझान आने वाली तिमाहियों में कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा क्षमता-विस्तार को बल प्रदान कर सकते हैं।

8. महामारी ने उत्पादन, प्रबंधन और अभिशासन की प्रणालियों में दूरगामी परिवर्तनों को उत्प्रेरित किया है। इस संकट ने रेखांकित किया है कि प्रौद्योगिकी काफी हद तक संसाधन के अंतर को पाट सकती है और यह समावेशी विकास का प्रमुख सक्षमकारक है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियां जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्वसंचालित वाहन, 3-डी प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा भंडारण और पदार्थ विज्ञान में विकास ने हमारे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को छुआ है।

भविष्य डेटा-संचालित स्मार्ट विनिर्माण का है और व्यवसायों को जल्द से जल्द सही निवेश करने के लिए कमर कसने की जरूरत है। ज्ञान और कौशल उन्नयन में निवेश विनिर्माण क्षेत्र की कायापलट करनेवाली कुंजी है। औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए उद्योग और शिक्षा प्रणाली के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता है। कुल मिलाकर भौतिक और मानव पूँजी में निवेश का सही मिश्रण सतत विकास के युग की शुरुआत कर सकता है।

9. अगली पीढ़ी के फर्मों, या स्टार्ट-अप्स के प्रवेश से निवेशगत संभावना को बल मिलता है। भारत स्टार्ट-अप परिदृश्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में से एक देश के रूप में उभरा है जो नवोन्मेष और

गतिशील उद्यमिता की अपार संभावना को प्रतिबिंबित करता है। टेक स्टार्ट-अप में होने वाले निवेश का एक बड़ा हिस्सा महामारी के बाद खानपान की चीजों की डिलीवरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट-आधारित सेवाओं की माँग में अचानक तेजी के कारण हुआ है। एंजल टैक्स में छूट देकर स्टार्ट-अप विकास पर नीतिगत जोर और बेहतर अभिशासन उपायों से भी इस क्षेत्र को समर्थन प्राप्त हुआ है।

10. अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि यदि दुर्लभ अर्थव्यवस्था के गतिशील क्षेत्रों के लिए संसाधनों का पुन: आबंटन किया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। हालांकि, भारत में कुल रोजगार का लगभग 56 प्रतिशत हिस्सा कृषि एवं विनिर्मान क्षेत्र से जुड़ा हुआ है फिर भी सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है। इस प्रकार कार्यबल का एक बड़ा तबका कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में फंस गया है जो हमारी विकास क्षमता को बाधित कर रहा है।

11. साथ ही, मजबूत बैलेंस शीट के साथ संगठित कॉर्पोरेट क्षेत्र उभरते क्षेत्रों में नया निवेश करने के लिए सुव्यवस्थित रुप से तैयार है। जैसे-जैसे माँग की बहाली होगी, मुझे आशा है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र निवेश चक्र को प्रारम्भ करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा जो उत्पादक निवेश के लिए अधिशेष चलनिधि समावेश करने की सुविधा प्रदान करेगा।

12. इस पृष्ठभूमि में विकास के अवसरों का उपयोग करने के लिए उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा संसाधनों के पुनर्वितरण करने की ज़िम्मेदारी एक प्रतिस्पर्धी एवं दक्ष वित्तीय प्रणाली की है।

सार्वजनिक व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका

13. कोविड -19 महामारी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, नवोन्मेष और डिजिटलीकरण सहित भौतिक और सामाजिक अवसंरचना पर खर्च करने की आवश्यकता को सुदृढ़ किया है जो न केवल कल्याण-संवर्धक है बल्कि विकास-उत्प्रेरक भी हैं। इसके अलावा, अच्छी गुणवत्ता वाले सार्वजनिक व्यय से निजी निवेश की मात्रा बढ़ती जा रही है और आपूर्ति की कठिन समस्याओं का निदान होता है। यह मुद्रास्फीति दबाव को भी कम कर सकता है।

14. विकास और कल्याण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम सार्वजनिक खर्च को और अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं? सर्वप्रथम, एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सार्वजनिक खर्च के विकास संवर्धक तत्वों को निश्चित रूप से संरक्षित और विकसित करना चाहिए। यदि हम सरकारी व्यय की गुणवत्ता के लिए कुछ मापनीय मानदंड विकसित करते हैं तो पूँजीगत व्यय पर नीतिगत जोर देते हुए निवेशोन्मुखी बहाली की दिशा में मौजूदा अभियान को और प्रोत्साहन मिल सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ के साथ गुणवत्ता लक्ष्यों को औपचारिक रूप से जोड़ने पर राजकोषीय नीति अधिक कुशल, प्रभावी और मानवोचित होगी।

इस प्रकार के दृष्टिकोण से गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक वस्तुओं का स्थायी रूप से सुनिश्चित प्रावधान करने की एक चक्रीयतापक्षी प्रवृत्ति को समाहित किया जा सकता है। दूसरे, राज्यों में खर्च करने के व्यवहार में महत्वपूर्ण भिन्नता देखी गई है, जिसमें से कुछ राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण राज्य, अपने कम ऋण-जीएसडीपी अनुपातों के बावजूद और संरचनागत अंतर के बावजूद, अपनी पूरी संभावित

क्षमता तक खर्च करने में संकोच करते देखे गए। राजकोषीय रूप से सुदृढ़ राज्य, वास्तव में सार्वजनिक आधारभूत ढांचे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय अभियान में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। यह न केवल उनकी अपनी संभाव्य विकास संभावनाओं को बढ़ावा देगा बल्कि अन्य राज्यों में सकारात्मक प्रसार के साथ अखिल भारतीय निवेश चक्र को भी आरंभ कर सकता है। तीसरा, मौजूदा योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करके और वास्तविक परिणामों के आधार पर उन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके या युक्तिसंगत बनाकर भी सीमित संसाधनों का अधिक कुशल आबंटन किया जा सकता है। आरंभ की गई किसी भी नई योजना की एक समापन तिथि निर्धारित होनी चाहिए, जो उसके परिणामों से सम्बद्ध हो।

निर्यात को बढ़ावा

15. इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और कृषि उत्पादों जैसे भारतीय उत्पादों की मजबूत बाहरी माँग से प्रेरित होकर, भारत 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक निर्यात का कीर्तिमान हासिल करने के लिए तैयार है। शीर्ष दस निर्यात भागीदार देशों में से पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2021 के दौरान आठ देशों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके बावजूद कई उभरते क्षेत्रों में निर्यात के महत्वपूर्ण अवसर बने हुए हैं। सबसे पहले, भारत को कृषि क्षेत्र का स्वाभाविक सहज लाभ प्राप्त है। पारंपरिक निर्यात वस्तुओं जैसे अनाज, चीनी और कपास के अलावा, कृषि निर्यात को नए क्षेत्रों में वैविध्यपूर्ण बनाया जा सकता है ताकि उपभोक्ताओं को बदलती प्राथमिकताओं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं से भी लाभ उठाया जा सके। दूसरा, जलवायु परिवर्तन की चिंताओं ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर केंद्रित कर दिया है। ईवी की बिक्री तेज गति से बढ़ रही है। इससे लिथियम और कोबाल्ट जैसी धातुओं की माँग बढ़ गई है जिनका उपयोग बैटरी में किया जाता है जो उनके भंडार से कहीं अधिक है।

इसलिए, न केवल पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बल्कि इस क्षेत्र में विशाल निर्यात क्षमता का लाभ उठाने के लिए, विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से नई सामग्रियों के साथ ईवी बैटरी के पुनर्चक्रण और उत्पादन हेतु एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने का रणनीतिक महत्व है। तीसरा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में प्रक्षेपण वाहनों, उपग्रहों के लागत प्रभावी प्रक्षेपण, एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्यात अवसर मौजूद हैं जहां सार्वजनिक-निजी भागीदारी से भरपूर लाभ मिल सकता है।

वित्तीय क्षेत्र की भूमिका

16. आधुनिक समाज में संवृद्धि और विकास की इमारत एक जीवंत, आघात-सहनीय और सुसंचालित वित्तीय क्षेत्र की नींव पर बनी है। चूंकि अब हम महामारी से उबर रहे हैं, मैं वित्तीय क्षेत्र के सामर्थ्य और चुनौतियों पर प्रकाश डालूंगा।

भविष्य के लिए प्रतिरोधकों (बफर्स) का निर्माण

17. बैंक कोविड-19 के आघातों से उम्मीद से बेहतर तरीके से उबरे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार, एससीबी के जीएनपीए और पूँजी पर्याप्तता अनुपात में जून 2021 के मुक़ाबले सितंबर 2021 में और सुधार हुआ है। बैंक पूँजी जुटाने में भी विवेकपूर्ण रहे हैं। कई बैंकों के लाभप्रदता मैट्रिक्स

भी कई सालों के उच्चतम स्तर पर हैं। आंकड़ों में यह सुधार आंशिक रूप से कोविड-19 के दौरान बैंकों को प्रदान की गई विनियामकीय राहत के साथ-साथ, सरकार द्वारा दी गई राजकोषीय गारंटी और वित्तीय सहायता को दर्शाते हैं। आने वाले समय में ऐसे जोखिम और चुनौतियाँ हैं जिन पर बैंकिंग प्रणाली को गंभीर आत्मनिरीक्षण और कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

18. सर्वप्रथम, कोविड-19 प्रकरण ने आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थाओं के लिए मौजूदा विवेकपूर्ण और विनियामकीय मानदंडों के कुछ पहलुओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए, एक असल ज़िंदगी का अनुभव प्रदान किया है। इस संकट से कुछ चिंताएँ फिर से उभरी हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संकट के दौरान बैंकों की पूँजी और प्रावधानीकरण बफर, उनकी पर्याप्तता और परिणामी उपयोगिता का सवाल हमारे सामने है। इसलिए मैं बैंकों से आग्रह करता हूं कि वे दूरदर्शी, वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के साथ अपनी पूँजी प्रबंधन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करें तथा उन्हें और बेहतर बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण यह कि ऋण देने वाली संस्थाओं को चाहिए कि वे सतत ज़िम्मेदारी के रूप में हानि अवशोषण क्षमता की परिकल्पना करें। यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक विवेकपूर्ण जोखिम लेने वाले व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे और अपनी पूँजी का कुशलतापूर्वक उपयोग करेंगे।

19. दूसरा, सुसंचालित, मजबूत और आघात-सहनीय वित्तीय संस्था के लिए सुशासन अत्यंत आवश्यक है। बैंकों को जनता से जमा राशि जुटाने का विशेषाधिकार प्राप्त है, जो उन पर अपने व्यवसाय को बहुत ही जिम्मेदार तरीके से संचालित करने का दायित्व भी डालता है। निदेशक मंडल उस विश्वास के संरक्षक होने की जिम्मेदारी निभाता है जो जमाकर्ताओं ने बैंक पर किया है। इसलिए, जमाकर्ताओं के प्रति बैंक की जिम्मेदारी को बैंक के शेयरधारकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी से तौला जाना चाहिए।

सुशासन सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक को बोर्ड की निगरानी भूमिका, इसकी संरचना, निदेशकों की कौशल प्रोफ़ाइल, मजबूत जोखिम और अनुपालन संरचना और प्रक्रियाओं, अधिक पारदर्शिता और विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करने वाले एक मजबूत तंत्र से अत्यधिक उम्मीदें हैं। अत: व्यावसायिक प्राथमिकताओं के साथ-साथ, जिम्मेदार शासन और नैतिकता-युक्त कार्य की आवश्यकता है।

20. तीसरा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र 'बाजार का अनुसरण' दृष्टिकोण द्वारा संचालित होने के बजाय, उनके व्यावसायिक मॉडल और व्यावसायिक रणनीतियां सचेत होकर बनाई गई हों जिस पर बोर्ड स्तर पर एक मजबूत रणनीतिक चर्चा हुई हो। विकास के अपने प्रयास में, बैंकों को झुंड की मानसिकता से बचना चाहिए और अलग-अलग व्यावसायिक रणनीतियों की तलाश करनी चाहिए। आरबीआई में, हमने बैंकों के व्यावसायिक मॉडल और रणनीतियों पर करीब से नज़र डालना शुरू कर दिया है। कुछ बैंकों ने केवल अपने निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक विषम प्राथमिकता के साथ उच्च जोखिम और उच्च रिटर्न व्यावसायिक रणनीति को अपनाया था। ऐसे में, विशेष रूप से प्रबंधन के प्रस्तावों को चुनौती देने में, बोर्ड की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे निर्णय लेने में अधिक

सावधानीपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण रखने की दिशा में सहायता मिलेगी।

21. चौथा, एक और बड़ी चुनौती कोविड-19 से प्रभावित दबावग्रस्त उधारकर्ताओं से निपटने की होगी। कोविड-19 की दो लहरों के दौरान, रिज़र्व बैंक ने उधारकर्ताओं और बैंकों को राहत प्रदान करने के लिए समाधान ढांचा 1.0 और 2.0 की घोषणा की। समाधान ढांचा 1.0 के तहत पुनर्संरचित बड़े उधारकर्ता खातों के संबंध में समाधान 30 जून, 2021 तक लागू किया जाना था, तथापि उनके पास परिचालन मापदंडों को प्राप्त करने के लिए 30 सितंबर, 2022 तक का समय है।

दूसरी ओर, व्यक्तियों, एमएसएमई और अन्य छोटे व्यवसायों के संबंध में 30 सितंबर, 2021 से पहले समाधान ढांचा 2.0 के तहत लागू किए गए प्रस्तावों को 31 दिसंबर, 2021 तक लागू किया जाना है। जैसे-जैसे प्रोत्साहनपरक उपायों को धीरे-धीरे कम किया जाता है, इनमें से पुनर्संरचित कुछ खातों को आने वाली तिमाहियों में ऋण शोधन क्षमता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विवेकसम्मत कार्रवाई में व्यावहारिक समाधान उपायों के लिए ऐसे गैर-अर्थक्षम फर्मों को तत्काल/अग्रसक्रिय रूप से चिह्नित करना आवश्यक होगा।

22. पाँचवां, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वित्तीय सेवा उद्योग आज 'तकनीकी वर्चस्व' के बीच में है। वित्त के चल रहे डिजिटलीकरण ने कई मोर्चों पर सकारात्मक परिवर्तन पैदा किये हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि रिज़र्व बैंक फिनटेक के लिए विनियामकीय सैंडबॉक्स, सह-उधार मॉडल, एकाउंट एग्रीगेटर जैसे तंत्रों की परिकल्पना करके इस विविध विचार स्थल में नवाचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही हम यह उम्मीद करेंगे कि उधार देने वाली संस्थाएं इन तंत्रों का लाभ उठाकर समग्र ग्राहक अनुभव, उत्पाद अनुकूलन, वैकल्पिक ऋण मूल्यांकन पद्धतियों का अंगीकरण, निगरानी उपायों इत्यादि को उन्नत करेंगे। यहाँ सावधानी रखना उचित रहेगा: वैश्विक स्तर पर, 'फिजिटल' क्रांति ने बैंकों, एनबीएफसी और फिनटेक खिलाड़ियों जैसे इनक्यूबेशन, पूँजी निवेश, सह-निर्माण, वितरण और एकीकरण के बीच कई सहयोगी मॉडलों में भूमिका निभाई है। हालांकि उधारदाता इनमें से किसी भी मॉडल का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, विनियामकीय अपेक्षा यह है कि अंतिम टाई-अप निर्णय, मौजूदा विनियामकीय दिशानिर्देशों के अधीन अपनी आंतरिक नीतियों के संदर्भ में अपने स्वयं की वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता के अनुसार होना चाहिए।

उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आंकड़ों की सुरक्षा, आंकड़ों की गोपनीयता और शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आउटसोर्सिंग दिशानिर्देश, उचित व्यवहार संहिता आदि जैसे विनियमों के संदर्भ में अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इसके अलावा, फिनटेक और बिगटेक संस्थाओं के साथ अनुबंधों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इसलिए, जैसा कि हम नवाचार की इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस बात को मान लेना चाहिए कि जोखिम अंततः बैंकों और एनबीएफसी की बहियों में ही परिलक्षित होगा और इसलिए सहयोग की योजना उचित रणनीतिक योजना बना कर की जानी चाहिए।

23. छठा, उधारदाताओं को कभी भी अपने अस्तित्व के आधार यानी 'ग्राहक' से नज़र नहीं हटानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत, और यहां तक कि

पहले की लोकपाल योजनाओं के अंतर्गत, विनियमित संस्थाओं (बैंकों सहित) के पास 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों को ही आरबीआई लोकपाल द्वारा निपटाया जाता है। ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए तीस दिन एक बहुत ही उचित अवधि है। मैं बैंकों से आग्रह करता हूं कि वे अपने शिकायत निवारण तंत्र को सुधारने/मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दें और आवश्यक उपाय करें तथा ग्राहकों के हित में यह देखें कि आरबीआई लोकपाल के पास शिकायतें कम से कम पहुंचें। बैंकों को ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार भी सुनिश्चित करना चाहिए तथा कर्मचारियों और प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों को उचित ढंग से संवेदनशील करते हुए, अनुचित बिक्री को टाला जाना चाहिए। ग्राहक को बेचा गया उत्पाद उसके लिए उपयुक्त और उसके जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुकूल होना चाहिए।

निष्कर्ष

24. जैसा कि हम महामारी के बाद विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में सही स्थान एक मजबूत, स्थिर और लचीली वित्तीय प्रणाली पर निर्मित होगा। बैंक और एनबीएफसी हमारी अर्थव्यवस्था के पावर इंजन हैं, इस नाते परिवर्तनकारी यात्रा में तेजी लाने के लिए उन्हें निरंतर कायांतरण से गुजरना होगा। मैं यहां उपस्थित वरिष्ठ बैंकरों को उनके संबंधित संस्थानों में इस पूरे परिवर्तन को उत्प्रेरित करने वाले परिवर्तन एजेंट के रूप में देखना चाहता हूं।

आगामी फलदायी और सार्थक विचार-विमर्शों के लिए मेरी शुभकामनाएं!

धन्यवाद। स्वस्थ रहें।

नमस्कार!

***

फुटनोट:

[1]महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

आलेख

बैड बैंक की सार्थकता

- सतीश सिंह

सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

आर्थिक अनुसंधान विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई

भले ही बैड बैंक के नाम के साथ बैंक जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका स्वरूप व्यावसायिक बैंक की तरह नहीं है। इसका काम होगा- व्यवसायिक बैंकों के एनपीए को खरीदकर बेचना। बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कहा जाता है। इसलिए, बैंकों का स्वस्थ रहना जरुरी है। लेकिन एक लंबे समय से बैंक, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गैर-अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की समस्या से जूझ रहे हैं।

कोरोना महामारी ने बैंकों की एनपीए को और भी बढ़ाने का काम किया है। इसलिए, वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए 01 फरवरी, 2021 को बैड बैंक के गठन की घोषणा की। हालांकि, इस घोषणा से पहले भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने एनपीए के समाधान के लिए बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था।

हाल ही में वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैड बैंक वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में अपना कामकाज शुरु कर सकता है। इस क्रम में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि बैड बैंक को शुरू करने के लिए 28 जनवरी, 2022 तक सभी आवश्यक मंजूरी मिल गई है। शुरू में कुल 50,335 करोड़ रुपये के कुल 15 एनपीए खातों को बैड बैंक को अंतरित किया जायेगा। ये वैसे खाते होंगे, जिनमें बैंकों ने 100 प्रतिशत का प्रावधान कर दिया है।

ऐसे खातों में वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स लिमिटेड (वीओवीएल) जो वीडियोकॉन इंडस्ट्री की एक सहयोगी कंपनी है, एमटेक ऑटो लिमिटेड, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, कास्टेक टेक्नॉलॉजी लिमिटेड, जीटीएल लिमिटेड, वीजा स्टील लिमिटेड और लावसा कॉर्पोरेशन आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है।

एनपीए वसूली

विगत छह सालों में लगभग पाँच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के एनपीए की वसूली बैंकों द्वारा की गई है, जबकि मार्च, 2018 से अब तक में तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली की गई है, जिसमें से लगभग एक लाख करोड़ रुपये की वसूली बट्टा खाते में डाले गये एनपीए में से की गई है। बट्टा खाते में एनपीए को डालने का अर्थ है- तुलनपत्र या बैलेंस शीट से एनपीए को हटाना, ताकि बैलेंस शीट साफ़-सुथरा दिखे और उसका फायदा कारोबार और निवेश के संदर्भ में बैंकों को मिल सके।

उल्लेखनीय है कि एनपीए को बट्टा खाते में डालने के बाद भी बैंक उन ऋण खातों में वसूली का प्रयास लगातार करते रहते हैं।

बैड बैंक के गठन का मकसद

वर्ष 2015 में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण खातों की गुणवत्ता की समीक्षा की गई थी, जिसमें बड़ी राशि के एनपीए का पता चला था। वर्तमान में परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) एनपीए के समाधान में बहुत प्रभावशाली नहीं रहे हैं। देश में अभी 28 एआरसी कार्यरत हैं, जो केवल छोटे स्तर पर ही एनपीए की वसूली कर रहे हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) फंसे कर्ज के समाधान में जरूर कुछ कारगर साबित हुई है, लेकिन इसके प्रदर्शन को संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनपीए की वसूली के लिये बैड बैंक के पहले हिस्से- राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) द्वारा जारी सिक्योरिटी रिसीप्ट्स पर 30,600 करोड़ रुपये की गारंटी देने की मंज़ूरी दी है, ताकि बैड बैंक अपने गठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे। चूँकि, एनपीए के बड़े ऋण खातों का समाधान करने में मौजूदा एआरसी और अन्य मौजूद तंत्र असमर्थ हैं, इसलिये बैड बैंक का गठन करने का फैसला किया गया।

परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)

एआरसी, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से एनपीए को खरीदकर बेचने का काम करती है। एआरसी एक न्यासी ढांचे के जरिये एनपीए खरीदती है। यह कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में न लेकर, केवल उसका प्रबंधन करती है। वर्ष 1991 में शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र में सुधार के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम. नरसिम्हन की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफ़ारिश के आधार पर एआरसी का गठन किया गया था। एनपीए की वसूली प्रभावशाली ढंग से किया जा सके, इसके लिए एआरसी के पहले, डीआरटी की स्थापना की गई थी, लेकिन वह भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही। तदुपरांत, वित्तीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन अधिनियम और प्रतिभूति सुरक्षा क्रियान्वयन अधिनियम, 2002 के आधार पर एआरसी का गठन किया गया, लेकिन एनपीए की वसूली में इसकी भूमिका भी प्रभावशाली नहीं रही। हालाँकि, एआरसी ने अपने गठन के शुरूआती महीनों में एनपीए की वसूली में काफी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बाद में कम फायदा होने की वजह से एनपीए की वसूली के लिए गंभीरता से प्रयास करना इसने बंद कर दिया।

इसके अलावा, एआरसी को बैंकों से एनपीए को खरीदने में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा था। बैंक इसे एनपीए बेचने में सहयोग नहीं कर रहे थे। बैंक जब एनपीए बेचते हैं तो एआरसी को बैंकों को 15 प्रतिशत की राशि नकद देनी होती है, जबकि वर्ष 2014 में एनपीए का केवल पाँच प्रतिशत ही एआरसी को बैंकों को नकद देना पड़ता था। वहीं, एआरसी 85 प्रतिशत राशि का भुगतान पहले भी और आज भी सिक्योरिटी रिसीट के रूप में बैंकों को कर रही है।

कितना सफल रहा आईबीसी

जब कोई कंपनी बैंकों से लिए कर्ज को नहीं चुकाती है तो आईबीसी के तहत कर्ज वसूलने के लिए उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के प्रतिनिधि कंपनी से एनपीए की वसूली के लिए मोल-भाव करते हैं और जब कंपनी का प्रबंधन प्रस्तावित प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है तो कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। फिर, कंपनी की संपत्ति को बैंक अपने अधिकार में ले लेती है और उसे किसी दूसरी कंपनी को बेचकर एनपीए की वसूली करती है। इसके तहत कोई बाहरी व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी ही एनपीए के बदले मोर्गेज रखी सम्पत्ति को खरीद सकता है।

वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने आईबीसी की संकल्पना को अमली जामा पहनाया था, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वित्त वर्ष 2017 के बाद से अब तक दिवालिया अदालत में कुल 4,300 मामलों को दर्ज किए गए हैं, जिनमें से केवल आठ प्रतिशत मामलों का ही निपटारा किया जा सका है। बीते चार सालों

में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईबीसी की प्रक्रिया के लिए चिन्हित किए गए 4.56 लाख करोड़ रुपये में से बैंकों को सिर्फ 28 प्रतिशत यानी 1.3 लाख करोड़ रुपये की वसूली करने में सफलता मिली है। इसलिए, यह कहना समीचीन होगा कि आईबीसी बीते चार सालों में एनपीए की वसूली करने में पूरी तरह से असफल नहीं रही है।

बैड बैंक का कार्यकाल

बैड बैंक के कार्यकाल की कोई अवधि तय नहीं है, लेकिन सरकारी गारंटी पाँच सालों के लिए दी गई है। इसलिए, माना जा रहा है कि बैड बैंक का अस्तित्व कम से कम पाँच सालों तक के लिए जरुर बना रहेगा। अगर एनपीए की अपेक्षित वसूली बैड बैंक नहीं कर पाती है तो यह पाँच सालों के बाद भी अस्तित्व में बनी रह सकती है।

बैड बैंक का स्वरूप एवं कार्यप्रणाली

एनएआरसीएल और भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल)- दोनों मिलकर बैड बैंक का निर्माण करते हैं। एनएआरसीएल बैड बैंक का पहला हिस्सा है, जबकि आईडीआरसीएल दूसरा हिस्सा। एनएआरसीएल का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया है। एनएआरसीएल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी। एनएआरसीएल एनपीए को बैंकों से उसके बुक वैल्यू पर खरीदेगा, जबकि आईडीआरसीएल का काम होगा- एनपीए को बेचना या उसका समाधान करना। बुक वैल्यू का आशय किसी कंपनी या वस्तु की उस कीमत से है, जो निश्चित समय पर बाजार में उसे बेचने से मिल सकती है। इसकी गणना करने के लिए कंपनी की चल एवं अचल संपत्ति से उसकी देनदारियों को घटाकर कुल शेयरों से भाग दिया जाता है।

आईडीआरसीएल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अधिकतम 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी। शेष 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं और अन्य वित्तीय संस्थानों की होगी। आईडीआरसीएल एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के तौर पर काम करेगी, लेकिन तकनीकी रूप में यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होगी, जिसका नियमन केंद्रीय बैंक करेगा। चूँकि, आईडीआरसीएल में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुलता में होगी, इसलिए यह जांच एजेंसियों के दायरे में नहीं आएगी। इससे एनपीए को बेचने में इसे ज्यादा कानूनी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एनएआरसीएल का पूँजीकरण बैंकों और एनबीएफसी द्वारा इक्विटी के माध्यम से किया जाएगा। यह जरुरत पड़ने पर बाजार से भी पूँजी की उगाही कर सकेगा।

एनपीए खरीदने का लक्ष्य

एनएआरसीएल विभिन्न चरणों में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से लगभग दो लाख करोड़ रुपये के एनपीए को खरीदेगी। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा के मुताबिक, अभी तक कुल 83,000 करोड़ रुपये के कुल 38 खातों को हस्तांतरण के लिए चिन्हित किया गया है। हालाँकि, एनएआरसीएल को जितने फंसे ऋण खाते स्थानांतरित किए जाने वाले हैं, वे सभी झंझट वाले हैं अर्थात उनमें वसूली करना मुश्किल भरा काम है। ये खाते बिजली, सड़क और दूसरे आधारभूत संरचना क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इन परियोजनाओं में प्रवर्तकों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से एनपीए की वसूली नहीं हो पा रही है। एनपीए के लिये बैड बैंक 15 प्रतिशत की राशि बैंकों को नकद देगी और शेष 85 प्रतिशत राशि का भुगतान बैंकों को सिक्योरिटी रिसीट रूप में किया जायेगा।

क्यों सरकार ने दी गारंटी

बैड बैंक बनाना आसान है, लेकिन एनपीए को बेचना या उसका समाधान करना आसान नहीं है। बैड बैंक को एनपीए बेचने में परेशानी नहीं हो, इसके लिये सरकार ने सिक्योरिटी रिसीट पर पाँच सालों के लिये 30,600 करोड़ रुपये की गारंटी दी है। यदि एनपीए को बेचने पर, बैड बैंक को खरीदगी से कम राशि मिलती है तो गारंटी को भुनाया जा सकेगा। वसूली फेस वैल्यू से जितनी कम होगी, उतनी ही राशि की गारंटी को भुनाया जायेगा।

एनपीए बेचने में देरी को हतोत्साहित करने के लिए, एनएआरसीएल को गारंटी शुल्क का भुगतान करना होगा, जो समय बीतने के साथ बढ़ता चला जाएगा। एनएआरसीएल के निगमन के दूसरे वर्ष से बकाया गारंटियों का 0.25 प्रतिशत शुल्क के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तीसरे, चौथे और पाँचवें साल में यह शुल्क क्रमशः 0.5 प्रतिशत, 1 प्रतिशत और 2 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

बैड बैंक के फायदे

एनपीए को बेचने से जो नकदी बैंक में वापस आयेगी, उसे पुनः जरूरतमंदों को ऋण के रूप में दिया जा सकेगा, क्योंकि बैंक एनपीए के लिए पहले ही आवश्यक प्रावधान कर चुके हैं। अतः जो भी रकम वसूल की जाएगी, वह सीधे बैंकों के मुनाफे में जुड़ जाएगी। दुनिया के अनेक देशों में बैड बैंक एनपीए को बेचने में सफल रही है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद अमेरिका ने संकटग्रस्त परिसंपत्ति राहत कार्यक्रम शुरू किया था, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था का स्वास्थ बेहतर हुआ था। एक अनुमान के अनुसार बैड बैंक पाँच लाख करोड़ रुपये से अधिक की एनपीए को बेचने में कारगर हो सकती है।

इसके दूसरे भी फ़ायदे हैं। मसलन, एनपीए को बैड बैंक को बेचने के बाद, बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं। बैंकों को एनपीए की वसूली में आर्थिक नुकसान तो होता ही है; साथ ही साथ, बैंककर्मी कारोबार बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे गुणवत्तायुक्त परिसंपत्ति भी एनपीए में तब्दील हो जाती है। बैलेंस शीट के साफ-सुथरा रहने से देसी व विदेशी निवेशकों और जमाकर्ताओं का बैंकों पर भरोसा बढ़ेगा, जिससे बैंक की रेटिंग बेहतर होगी और निवेश की राह आसान होगी। जानकारों के अनुसार, बैड बैंक से एनपीए खरीदना आसान होगा। अभी कंसोर्टियम वाले एनपीए खरीदने में मुश्किलें आती हैं क्योंकि ऐसे खातों से अनेक बैंक जुड़े होते हैं। इसलिए एनपीए को बैंकों से खरीदना आसान नहीं होता है। दरअसल, कंसोर्टियम वाले बैंकों में एनपीए को बेचने के बारे में आसानी से सहमति नहीं बन पाती है। चूँकि, बैड बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी बहुलता में होगी और इसे सरकार का भी समर्थन प्राप्त होगा, अस्तु, एनपीए को खरीदने में बैड बैंक को कोई परेशानी नहीं होगी और एआरसी किसी परेशानी के बिना, बैड बैंक से एनपीए को खरीदकर बेच सकेगी।

सफलता को लेकर आशंकाएँ

भले ही बैड बैंक का गठन किया गया है और इसे सफल बनाने के लिए सरकार ने गारंटी भी दी है, फिर भी इसकी सफलता पर संदेह भी जताया जा रहा है, क्योंकि पहले के समाधान उपायों जैसे, एआरसी, आईबीसी आदि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहे हैं। इसके अलावा, बैड बैंक के पास एनपीए की वसूली के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः बैड बैंक को भी एनपीए बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आईबीसी की मदद से एनपीए के मामले में उल्लेखनीय वसूली की गई है। हालांकि, अनेक मामलों में आईबीसी के तहत औने-पौने कीमत पर एनपीए बेचा गया है।

यह भी कहा जा रहा है कि बैड बैंक पेशेवरों की मदद से फंसे कर्ज का समाधान करने में सफल होगी। लेकिन एनपीए की वसूली करने वाले पेशेवर हैं कहाँ? अगर पेशेवर होते तो उनकी सेवाएँ लेकर बैंक पहले ही एनपीए की वसूली कर लेती। मामले में यह भी आशंका जताई जा रही है कि जिन एनपीए की वसूली बैड बैंक करने वाला है, उनमें मोर्गेज प्रतिभूतियों को बेचना मुश्किल भरा काम होगा, क्योंकि कई परियोजनाओं का काम फिलवक्त रुका हुआ है और उनकी चल एवं अचल सम्पत्तियों की कीमत में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

बेहतर हो रहा है बैंकों का प्रदर्शन

आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त पूँजी है और एनपीए में कमी आई है। बैंकिंग प्रणाली का सकल एनपीए अनुपात 2017-18 के 11.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर, 2020 के अंत में 7.5 प्रतिशत और सितंबर 2021

के अंत में 6.9 प्रतिशत पर आ गया। शुद्ध एनपीए अनुपात भी 2017-18 के 6.0 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर सितंबर, 2021 में 2.2 प्रतिशत पर आ गया। हालाँकि, सितंबर, 2020 से सितंबर, 2021 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 7.9 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर, 2021 के अंत में 8.5 प्रतिशत हो गया। बैंकों का पुनर्गठित मानक अग्रिम (आरएसए) अनुपात इस दौरान 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 1.5 प्रतिशत हो गया। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, कोरोना महामारी के कारण पुनर्गठित संपत्तियों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण बैंकिंग प्रणाली के लिए दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर, 2021 के अंत में बढ़ गया।

चालू वित्त वर्ष की तीसरी या दिसंबर तिमाही में 28 सूचीबद्ध बैंकों का शुद्ध लाभ तिमाही आधार पर 21.5 प्रतिशत बढ़ा, जो एनपीए के लिए किये जा रहे प्रावधानों में कमी आने से संभव हुआ। दिसंबर तिमाही में अधिकतर बैंकों ने कम सकल एवं शुद्ध एनपीए अनुपात दर्ज किये और एनपीए के लिए किये जा रहे प्रावधानों में गिरावट दर्ज की गई। इन 28 बैंकों के लिए सकल एनपीए दिसंबर तिमाही आधार पर 3.5 प्रतिशत तक घटकर 7.44 लाख करोड़ रुपये रह गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने ऋण वृद्धि लक्ष्य को संशोधित करके उसमें इजाफा किया है क्योंकि ओमिक्रोन का प्रभाव कम होने से, कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा छोटे एवं मध्य उद्यमों (एसएमई) की माँग में सुधार हुआ है। नवंबर, 2021 में 7.00 प्रतिशत का स्तर पार करने के बाद दिसंबर के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि सालाना आधार पर बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गई थी, जबकि पिछले वर्ष 2020 के दिसंबर महीने में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर इसमें 6.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई थी।

इन कारणों से बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शानदार मुनाफा दर्ज किया है। दिसंबर तिमाही में बैंक ऑफ़ बड़ौदा का शुद्ध लाभ 2,197 करोड़ रुपये हो गया, तो भारतीय स्टेट बैंक का शुद्ध लाभ 8,432 करोड़ रुपये रहा; जबकि एक्सिस बैंक का मुनाफा दोगुना हो गया। इस तिमाही में दूसरे बैंकों के मुनाफ़े में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बैंकिंग क्षेत्र में निरंतर बेहतरी आ रही है, जो बैड बैंक के लिए एक अच्छा संकेत है। अगर बैंक खुद से एनपीए को कम करने में सफल रहेंगे तो बैड बैंक का काम हल्का होगा और बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था दोनों में मजबूती आयेगी।

बैंकिंग क्षेत्र की बेहतरी हेतु बजटीय प्रावधान

बजट में सरकार ने पूँजी निवेश की राशि को 5.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। इससे सबसे अधिक फायदा एमएसएमई को होगा। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ये बैंकों से ऋण लेंगे, जिससे बैंकों के ऋण प्रवाह में तेजी आयेगी। इससे माँग और आपूर्ति में भी तेजी आयेगी और रोजगार सृजन को भी गति मिलेगी। बजट में कॉर्पोरेट सरचार्ज को भी 12 प्रतिशत से कम करके सात प्रतिशत करने की बात कही गई है। इससे कॉर्पोरेटस को अतिरिक्त पूँजी मिलेगी, जिसका इस्तेमाल वे कारोबार बढ़ाने में कर सकेंगे। कारोबार को मजबूत करने के लिए वे बैंकों से भी ऋण ले सकते हैं, क्योंकि अभी बैंकों के पास सस्ती दर पर पूँजी उपलब्ध है।

बजट में गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिये 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गंगा के किनारों के पाँच किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की भी घोषणा बजट में की गई है। इन घोषणाओं को मूर्त देने के लिये बैंकों से ऋण लेने की जरूरत होगी।

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना की मदद से 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार पहले से ही निवेश करने का काम कर रही है। यह योजना घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए मार्च, 2020 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित

उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।

वर्तमान में देश में 6.33 करोड़ एमएसएमई इकाइयाँ हैं, जिनका देश की जीडीपी में 29 प्रतिशत का योगदान है और इस क्षेत्र में लगभग 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके दायरे को बढ़ाने के लिए उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस व एएसइइएम (असीम) पोर्टल्स को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव बजट में किया गया है, ताकि ऋण के प्रवाह और एमएसएमई के स्वास्थ्य में बेहतरी आए। वर्ष 2016 से अब तक देश में 60,000 से अधिक नये स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इस संकल्पना को और भी सशक्त बनाने के लिए बजट में स्टार्टअप के लिए कर लाभ की अवधि को और एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया गया है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च, 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। बजट प्रावधानों के अनुसार, ईसीएलजीएस गारंटी कवर को पाँच लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान आतिथ्य क्षेत्र के लिए किया गया है। इस प्रावधान से बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी नहीं होगी। साथ ही साथ, बैंकों के कारोबार में भी इजाफा होगा। वित्तमंत्री के अनुसार, ईसीएलजीएस के जरिये 130 लाख से अधिक एमएसएमई को ऋण कोरोना काल में दिया गया है, जिससे महामारी के दौरान इन्हें अपने अस्तित्व को बचाने में मदद मिली है।

एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, ईसीएलजीएस योजना को लागू करने की वजह से 13.5 लाख एमएसएमई खाते एनपीए होने से बच गए हैं। अगर ये खाते एनपीए हो जाते तो 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जातीं और लगभग 6 करोड़ लोगों की जीविका भी प्रभावित होती। इस योजना की शुरुआत कोविड की वजह से वर्ष 2020 में की गई थी, जिससे एमएसएमई को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। नये प्रावधानों से एमएसएमई क्षेत्र को दो लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज मिलेगें और उनके कारोबार में वृद्धि होगी।

बजट में क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज़ (सीजीटीएमएसई) योजना को पुनर्जीवित करने की बात भी कही गई है। इस योजना से एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दो लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा, जिससे रोजगार सृजन में पर्याप्त तेजी आयेगी। वित्तमंत्री ने बजट में 6,000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को ज्यादा लचीला, प्रतिस्पर्धी और दक्ष बनने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

ओमिक्रोन के घटते प्रभाव और सरकार व भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाये गए समीचीन कदमों की वजह से बैंकों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार हो रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में भी मजबूत आ रही है। ऐसे माहौल में बैड बैंक को अपना काम करने में आसानी होगी, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त रहने पर ही एआरसी, वित्तीय या अन्य क्षेत्र से जुड़ी कंपनियाँ एनपीए खरीदने में समर्थ हो सकेंगी।

यह सही है कि पहले से एनपीए की वसूली का काम करने वाले कानून या संस्थान एनपीए की वसूली करने में अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाये हैं, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि एनपीए की वसूली में पहले से तेजी आई है। विगत छह सालों में बैंक पाँच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा एनपीए की वसूली करने में सफल रहे हैं। अगर बैड बैंक अपने गठन के उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं भी हो होता है, तब भी यह एनपीए की वसूली करने वाले मौजूदा संस्थानों से बेहतर परिणाम देने में सफल होगा, इस बात की प्रबल संभावना है।

***

सरकारी प्रतिभूतियाँ : एक विहगावलोकन

- नौशाबा हसन
मुख्य प्रबंधक एवं संकाय,
एस.बी.आई.एल.डी., रायपुर

भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इसी तरह बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन इसके तकनीकी पक्ष को नहीं समझते हैं। पर्याप्त जानकारी का अभाव भी बाधक होता है। ऐसे में, लोग चाहते हुए भी इसमें निवेश नहीं कर पाते हैं, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना न सिर्फ फायदेमंद है, बल्कि यह पूँजी को सुरक्षित भी करता है। इस आलेख में हम सरकारी प्रतिभूतियों को समझने का प्रयत्न करेंगे, साथ ही इस क्षेत्र में हो रही नवीन पहलकदमियों पर भी एक नज़र डालेंगे।

सरकारी प्रतिभूतियों की परिभाषा

सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (G-Sec) बाजार में उपलब्ध सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प मानी जाती हैं। ये केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी या सपोर्ट की जाती हैं। सरल भाषा में कहें तो भारत में सरकारी प्रतिभूतियाँ मुख्यतः भारत सरकार द्वारा, बाजार से पूँजी जुटाने के लिए, जारी किये गए बॉण्ड ही होती हैं। ये प्रतिभूतियाँ केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती हैं एवं कर्ज के लिए सरकार के दायित्व को स्वीकार करती हैं। जब सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है तो इन प्रतिभूतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निवेशकों को नीलाम किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों को स्थिर आय और बाजार में अस्थिरता से बचाव के एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार किया जाता है। निवेशक इन प्रतिभूतियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने और जोखिम को कम करने के उद्देश्य से जोड़ते हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ न केवल जोखिम से मुक्त रहती हैं, बल्कि इनसे यथोचित प्रतिलाभ भी मिलता है।

भारत में सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित विभिन्न सरकारी विनियम

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति से संबधित कानून तथा आर.बी.आई. द्वारा इसके प्रबंधन और इससे संबंधित मामले में समेकन और संशोधन करना है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 को लागू करने से भारत सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियाँ जिसमें राहत /बचत बांड आदि शामिल हैं, निवेशक के लिए अधिक सुविधाजनक हो गए हैं। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और सरकारी प्रतिभूति विनियम दिनांक 01 दिसंबर, 2007 से

लागू हुए हैं। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्मित और जारी की गई प्रतिभूतियों पर लागू होते हैं, चाहे वह इस अधिनियम को लागू करने के पहले या बाद में जारी की गई हो। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम उन सभी सरकारी प्रतिभूतियों पर भी लागू होता है, जो 01 दिसंबर 2007 के पूर्व निर्मित और जारी की गई हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकार

सरकारी प्रतिभूतियों को उनकी अवधि के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है- अल्पावधि और दीर्घावधि। अल्पावधि प्रतिभूतियों को सामान्यतः खजाना बिल या ट्रेजरी बिल कहा जाता है और इनकी मूल परिपक्वता अवधि 01 वर्ष से कम होती है। दीर्घावधि प्रतिभूतियों को सामान्यतः सरकारी बॉण्ड अथवा दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है और इनकी मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष अथवा उससे अधिक होती है। भारत में केंद्र सरकार खजाना बिल तथा बॉण्ड अथवा दिनांकित प्रतिभूतियाँ, दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड अथवा दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करती हैं जिन्हें राज्य विकास ऋण (एस.डी.एल.) भी कहा जाता है। आइए, इन विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में अब संक्षेप में चर्चा करें।

1. खजाना बिल (टी-बिल)- खजाना बिल अथवा ट्रेजरी (टी) बिल, भारत सरकार द्वारा जारी अल्पावधि ऋण लिखत (इंस्ट्रूमेंट) होती हैं। खजाना बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ (ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी) हैं तथा इन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। ये बिल डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं तथा परिपक्वता पर इनका भुगतान अंकित मूल्य पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, 100 रुपये (अंकित मूल्य) का 91 दिवसीय खजाना बिल यदि 98.20 रुपये (जारी मूल्य) पर जारी किया जाता है जो 1.80 रुपये के डिस्काउंट पर है तो उसका भुगतान 100 रुपये के अंकित मूल्य पर किया जाएगा। निवेशकों को परिपक्वता मूल्य अथवा अंकित मूल्य (अर्थात 100 रुपये) तथा जारी मूल्य (98.20 रुपये) के बीच अंतर (1.80 रुपये) आय के रूप में प्राप्त होता है।

वर्तमान में तीन प्रकार के खजाना बिल अथवा ट्रेज़री बिल जारी किए जाते हैं- 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय टी बिल।

91 दिन वाले ट्रेज़री बिल– 91 दिन के ट्रेजरी बिल की नीलामी की योजना 01.01.93 को प्रारंभ की गई थी, इसका उद्देश्य ट्रेजरी बिल मार्केट को विकसित करना और सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार-संबद्ध ब्याज दरों की ओर अग्रसर होना था। इनकी नीलामी आर.बी.आई. द्वारा की जाती है।

182 दिन वाले ट्रेजरी बिल- ये बिल 1987 में प्रारंभ किये गए और ऐसे टी-बिलों के लिए नीलामी प्रक्रिया आरंभ की गई।

364 दिन वाले ट्रेजरी बिल- सरकारी प्रतिभूति बाजार के समग्र विकास के हिस्से के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नीलामी आधार पर 364 दिनों के ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं।

2. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ- दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ दीर्घावधि प्रतिभूतियाँ होती हैं और उन पर स्थायी अथवा अस्थायी कूपन (ब्याज) दिया जाता है जो एक निश्चित अवधि (सामान्यत: छमाही) पर अंकित मूल्य पर देय होता है। दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि 30 वर्ष तक हो सकती है।

स्थायी दर बॉण्ड- इन बॉण्डों पर बॉण्ड की पूरी अवधि के लिए कूपन दर स्थायी होती है। अधिकांश

सरकारी बॉण्ड स्थायी दर बॉण्डों के रूप में जारी किए जाते हैं।

अस्थायी दर बॉण्ड- अस्थायी दर बॉण्ड वैसी प्रतिभूतियाँ होते हैं जिनकी कूपन दर स्थायी नहीं होती। इनका कूपन आधार दर पहले से घोषित अंतरालों पर (छःमाह/एक वर्ष) दुबारा निर्धारित किया जाता है।

3. शून्य कूपन बॉण्ड- शून्य कूपन बॉण्ड वे कूपन बॉण्ड होते हैं जिन पर कोई कूपन अर्थात ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है। ये भी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट पर ही जारी किए जाते हैं। भारत सरकार ने ऐसी प्रतिभूतियाँ सन् 90 के दशक में जारी की थी। उसके बाद शून्य कूपन बॉण्ड जारी नहीं किए गए हैं।

4. पूँजी सूचकांक बॉण्ड- ये बॉण्ड जिनका मूलधन मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन के स्वीकार्य सूचकांक से लिंक्ड होते हैं और मुद्रास्फीति से धारक का बचाव करते हैं। जो पूँजी सूचकांक बॉण्ड दिसंबर, 1997 में जारी किए गए थे, उनके मूलधन की प्रतिरक्षा मुद्रास्फीति से की गयी। ये बॉण्ड 2002 में परिपक्व हो गये थे।

5. माँग/विक्रय विकल्प वाले बॉण्ड- कुछ ऐसे विशेष बॉण्ड भी जारी किये जाते हैं जहाँ जारीकर्ता के पास बाय-बैक (माँग वापसी) का विकल्प होता है अथवा निवेशक के पास यह विकल्प होता है कि वह बॉण्ड की अवधि के दौरान जारीकर्ता को बॉण्ड बेच (विक्रय विकल्प) सकते हैं।

6. विशेष प्रतिभूतियाँ- बाजार उधार के कार्यक्रम के अंतर्गत, खजाना बिल और दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करने के साथ-साथ भारत सरकार समय-समय पर तेल विपणन कंपनियों, उर्वरक कंपनियों, भारतीय खाद्य निगम इत्यादि को नकदी सब्सिडी के स्थान पर विशेष प्रतिभूतियाँ भी जारी करती हैं। ये प्रतिभूतियाँ सामान्यतः लंबी अवधि की होती हैं, जिन पर तुलनात्मक परिपक्वता की दिनांकित प्रतिभूतियों के आय पर लगभग 20-25 आधार पाइंट का स्प्रैड होता है।

7. स्ट्रिप्स (STRIPS)- यह सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंन्ट्रेस्ट एंड प्रिसिंपल सिक्यूरिटीज का संक्षिप्त रुप है। ये मूलत: 'जीरो कूपन' प्रतिभूति होते हैं, जिसमें निवेशक को परिपक्वता पर ही भुगतान मिलता है। स्ट्रिप्स में निवेशक को, पात्र प्रतिभूतियों की विविध अवधि के लिए अलग से ब्याज एवं मूल को धारण करने एवं व्यापार करने की सुविधा होती है। ये वैसे निवेशकों के लिए होते हैं जो भविष्य की विशिष्ट तारीख को भुगतान प्राप्ति एवं चाही गई परिपक्वता की प्रतिभूतियों को धारण करना पसंद करते हैं।

8. राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ- ऐसी प्रतिभूतियाँ राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती हैं। अन्य प्रतिभूतियों की तरह ही, भारतीय रिज़र्व बैंक ही इनका प्रबंधन और व्यवस्था करता है। इन प्रतिभूतियों की अवधि सामान्यत: दस वर्ष की होती है। यह प्रतिभूतियाँ फिक्स्ड कूपन रेट पर 100 रुपये की न्यूनतम राशि और 100 रुपये के गुणक अर्थात मल्टीपल्स में उपलब्ध होती हैं। इनमें ब्याज का भुगतान छमाही आधार पर किया जाता है तथा मूल की चुकौती परिपक्वता तारीख को होती है।

सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करने की प्रक्रिया

सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

1. सरकारी प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामियों के माध्यम से जारी की जाती हैं। नीलामियाँ नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम

(एन.डी.एस.) नीलामी मंच नामक इलैक्ट्रॉनिक मंच पर की जाती है। वाणिज्य बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, प्राथमिक व्यापारी, बीमा कंपनियाँ और भविष्य निधियाँ जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निधि खातों (चालू खातों) और प्रतिभूति खातों (सिक्योरिटी खाते) मेंटेन करते हैं, इस इलैक्ट्रॉनिक मंच के सदस्य होते हैं। एन.डी.एस. के सभी सदस्य इस इलैक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से अपनी बोलियाँ लगा सकते हैं।

गैर-एन.डी.एस. सदस्य- गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों सहित अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के माध्यम से प्राथमिक नीलामी में भाग ले सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए शहरी सहकारी बैंकों को किसी बैंक/प्राथमिक व्यापारी के पास प्रतिभूति खाता खोलने की आवश्यकता होती है। ऐसे खाते को गिल्ट खाता कहा जाता है। गिल्ट खाता किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक (उदाहरण के लिए, गैर अनुसूचित शहरी बैंक) के लिए अनुरक्षित किया जाता है, जिसे डीमेट खाता कहते हैं।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से सांकेतिक (इंडिकेटिव) छमाही कैलेंडर जारी करता है जिसमें उधार की राशि, प्रतिभूति की अवधि और वह अवधि जिसमें नीलामी हो सकती है इत्यादि जानकारियाँ होती हैं। नीलामी की वास्तविक तारीख से लगभग एक सप्ताह पहले भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक अधिसूचना और प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है यथा नाम, राशि का स्वरूप और नीलामी की प्रक्रिया आदि। भारतीय रिज़र्व बैंक, इस अधिसूचना और प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के साथ-साथ अंग्रेजी और हिंदी के प्रमुख समाचारपत्रों में इस विषय में विज्ञापन भी देता है। सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की चयनित शाखाओं तथा प्राथमिक व्यापारियों के पास भी नीलामी की जानकारी उपलब्ध होती है।

सरकारी प्रतिभूतियाँ के रख-रखाव की प्रक्रिया

निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक रूप में अथवा डीमैट रूप में रखी जाती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं के लिए 20 मई, 2002 से सरकारी प्रतिभूतियों को केवल डीमैट रूप में रखना आवश्यक हो गया है।

भौतिक रूप में: सरकारी प्रतिभूतियों को स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में रखा जा सकता है। स्टॉक प्रमाणपत्र को लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) की बहियों में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) किया जाता है। स्टॉक प्रमाणपत्रों में स्वामित्व का अंतरण (ट्रांसफर) अंतरण-फार्म भर करके अंतरित किया जा सकता है तथा अंतरण का ब्योरा लोक ऋण कार्यालय की बहियों में दर्ज किया जाता है। प्रमाणपत्र का अंतरण लोक ऋण कार्यालय की बहियों में पंजीकरण के बाद ही अंतिम व वैध माना जाता है।

डीमैट रूप में: सरकारी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में अथवा स्क्रिप रहित रूप में रखना सबसे अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प माना जाता है क्योंकि इससे सुरक्षित रूप से रखने की समस्याएँ (यथा- प्रतिभूति का गुम होना इत्यादि) समाप्त हो जाती हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सिक्योरिटीज का ट्रांसफर और सर्विसिंग जैसे कार्य भी परेशानी रहित होते हैं। निवेशकों के पास सरकारी प्रतिभूतियों को रजिस्ट्रार (एन.एस.डी.एल./सी.डी.एस.एल. इत्यादि) के पास डीमैट खाते में रखने का विकल्प रहता है, जिससे स्टॉक एक्सचेंजों में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार सुविधाजनक बनता है। धारक अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में दो प्रकार से रख सकते हैं :

एस.जी.एल. खाता: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सहायक सामान्य लेजर खाते (Subsidiary General ledger Accounts) की सुविधा कुछ चयनित संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाती है, जो अपनी प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) में एस.जी.एल. खातों में रख सकते हैं।

गिल्ट खाता: एक निवेशक के पास किसी बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी के पास गिल्ट खाता खोलने का विकल्प उपलब्ध होता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ग्राहक का सहायक सामान्य लेजर खाता (Constituents' Subsidiary General Ledger account) खोल सकता है। इसे संक्षेप में सी.एस.जी.एल. खाता कहा जाता है। इस व्यवस्था में, बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी गिल्ट खाता धारक के अभिरक्षक के रूप में अपने ग्राहक की देयताओं (लायबिलिटीज) को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सी.एस.जी.एल खाते में रखते हैं। यह एस.जी.एल.-II खाते के नाम से भी जाना जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार की प्रक्रिया

सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार के लिए देश में एक सक्रिय द्वितीयक बाजार है। इस बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री काउंटर पर अर्थात ओ.टी.सी. अथवा तयशुदा लेन-देन प्रणाली अर्थात एन.डी.एस.- नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम अथवा एन.डी.एस.-ओ.एम. यानी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम- ऑर्डर मैचिंग पर की जा सकती है।

काउंटर पर (ओ.टी.सी.)- इस प्रक्रिया में कोई सहभागी जो सरकारी प्रतिभूति खरीदने अथवा बेचने का इच्छुक है, किसी बैंक/ प्राथमिक व्यापारी/ वित्तीय संस्थान से सीधे ही अथवा सेबी के पास पंजीकृत किसी ब्रोकर से संपर्क करके किसी मूल्य पर एक विशेष प्रतिभूति की किसी राशि तक मोल-भाव कर सकता है। ये मोलभाव अधिकांशतः फोन पर होते हैं और किसी दर पर दोनों पक्षों के तैयार हो जाने पर सौदा तय हो जाता है। क्रेता के मामले में यथा, एक शहरी सहकारी बैंक प्रतिभूति खरीदना चाहता है तो बैंक का व्यापारी (जो बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए प्राधिकृत होता है) अन्य बाजार सहभागियों से फोन पर संपर्क करता है तथा दरें प्राप्त करता है। यदि कोई सौदा तय हो जाता है तो बैंक, इस व्यापार का ब्योरा सौदा पर्ची में दर्ज करके, प्रतिपक्ष को व्यापार की पुष्टि करता है।

तयशुदा लेन-देन प्रणाली- इलैक्ट्रॉनिक कारोबार तथा सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन की रिपोर्टिंग के लिए तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एन.डी.एस.- नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम) फरवरी, 2002 में लागू हुई थी। नीलामी होने पर इससे सदस्यों को अपनी बोली इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करने अथवा सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक इश्यू के लिए बोलियाँ अथवा आवेदन करने में सुविधा होती है। एन.डी.एस. से लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई की प्रतिभूति समायोजन प्रणाली के समक्ष आकर द्वितीयक बाजार में आयोजित सरकारी प्रतिभूतियों (सीधे और रिपो दोनों) में लेन-देन के समायोजन को सुविधाजनक बनाता है।

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लाभ

- ❖ यह निवेशकों के लिए दीर्घकालीन निवेश हेतु प्रभावी व सुलभ साधन है।
- ❖ निवेशकों के लिए मध्यस्थता की कम कीमत के साथ ही उच्चतम सुरक्षा का दोहरा लाभ।
- ❖ यदि रिडेम्पशन तक धारण किया जाए तो परिपक्वता पर सुनिश्चित आय।
- ❖ हर छह महीने में आय का नियमित स्रोत।
- ❖ निवेश शैली और गहराई का व्यापक आधार।

- ❖ निवेशकों के विभिन्न वर्गों के लिए एक स्थिर डेब्ट मार्केट का विकास।
- ❖ प्राइमरी और सेंकडरी बाज़ार में प्रभावी मूल्य निर्धारण प्रणाली तैयार होती है।
- ❖ जोखिम का दिशांतरण आदि।

आर.बी.आई. खुदरा प्रत्यक्ष योजना (रिटेल डायरेक्ट स्कीम)

सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में अब तक संस्थागत निवेशकों का दबदबा रहा है जो बैंक, म्युचुअल फंड और बीमा कंपनियों जैसे बड़े बाज़ारों को नियंत्रित करते हैं। ये संस्थाएँ पाँच करोड़ रुपये या उससे अधिक आकार में व्यापार करती हैं, इसीलिए छोटे निवेशकों (जो छोटे आकार में व्यापार करना चाहते हैं) के लिये द्वितीयक बाज़ार में तरलता की कमी होती है। केंद्र सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के तहत खुदरा प्रत्यक्ष योजना अर्थात रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू की है।

आर.बी.आई. द्वारा इस योजना की घोषणा 05 फरवरी, 2021 को जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों के वक्तव्य में की गई थी। यह योजना सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना खुदरा निवेशकों को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों को ऑनलाइन खरीदने और बेचने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना को अर्थव्यवस्था को गति देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल बताया जा रहा है क्योंकि इससे एक ओर छोटे निवेशकों को निवेश के नए एवं सुरक्षित अवसर प्राप्त होते हैं, वहीं सरकार को विकास कार्यक्रमों के लिए पूँजी जुटाने में मदद मिलती है। साथ ही, प्रतिभूति और ऋण बाजार का आधार भी विस्तृत होता है।

आर.बी.आई. खुदरा प्रत्यक्ष योजना व्यक्तिगत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए एक ही स्थान पर सुरक्षित, सरल, प्रत्यक्ष और रक्षित मंच उपलब्ध करवाती है। योजना के अंतर्गत खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार के दोनों घटक अर्थात प्राथमिक और द्वित्यिक बाज़ार (Primary and Secondary Market) तक ऑनलाइन पहुंच के साथ-साथ आर.डी.जी. (रिटेल डायरेक्ट गिल्ट) अकाउंट खोलने की सुविधा दी जाती है। खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत कोई भी निवेशक केंद्र सरकार के साथ-साथ, राज्य सरकार की सिक्योरिटी जैसे ट्रेजरी बिल, दिनांकित प्रतिभूतियाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एस.जी.बी.) और राज्य विकास ऋण (एस.डी.एल.) आदि खरीद सकता है। निवेशक को ऑनलाइन पोर्टल https://rbiretaildirect.in/#/login/ के माध्यम से इसके लिए अपना एक आर.डी.जी. खाता खोलना होगा। यह पोर्टल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक जारीकर्ता और नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (NDS-OM) तक पहुँच प्रदान करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आर.डी.जी.) अकाउंट खोलने और बनाए रखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही, प्राथमिक नीलामी में बोली जमा करने के लिए भी एग्रीगेटर द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाँ, भुगतान गेटवे आदि के लिए शुल्क पंजीकृत निवेशक द्वारा वहन किया जाएगा।

आर.डी.जी. खाता खोलने के लिए खुदरा निवेशकों की पात्रता

आर.डी.जी. खाता खोलने के लिए खुदरा निवेशकों के लिए पात्रता (एलिजिबिलिटी) तय की गई है। ऐसे खुदरा निवेशकों का भारत में मौजूद बचत खाता

होना चाहिए। इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन), के.वाई.सी. उद्देश्य से जुड़ा कोई भी आधिकारिक दस्तावेज, वैध ई-मेल आई.डी. और पंजीकृत मोबाइल नंबर होना भी जरूरी है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र अनिवासी खुदरा निवेशक आर.बी.आई. खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत पात्र हैं। एक खुदरा निवेशक एक ही आर.डी.जी. खाता खोल सकता है। यह खाता एकल या संयुक्त रूप से किसी अन्य खुदरा निवेशक के साथ खोला जा सकता है, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।

खाता खोलने की प्रक्रिया में खुदरा निवेशक ऑनलाइन फॉर्म भरकर ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जानकारी को प्रमाणित करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी. पर प्राप्त ओ.टी.पी. का उपयोग कर सकते हैं। सफलतापूर्वक पंजीकरण होने पर, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट अर्थात आर.डी.जी. खाता खोला जाता है और ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंचने के लिए एस.एम.एस./ई-मेल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। आर.डी.जी. खाता प्राथमिक बाजार भागीदारी के साथ-साथ एन.डी.एस.-ओ.एम. पर सेकंडरी बाजार ट्रांजेक्शन के लिए भी उपलब्ध होता है।

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति की खरीद और बिक्री

एक बार खाता खुल जाने के बाद, खुदरा निवेशक प्राइमरी मार्केट में सरकारी प्रतिभूति खरीद सकते हैं, जहां सरकारी बॉण्ड पहली बार जारी किए जाते हैं या सेकंडरी मार्केट में मौजूदा सरकारी बॉण्ड खरीद/बेच सकते हैं। पोर्टल में निवेशक एक सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक बोली ही लगा सकता है।

प्राइमरी मार्केट में सरकारी प्रतिभूति की खरीद

सरकारी प्रतिभूति की प्राइमरी बिडिंग में भागीदारी के लिए, गैर-प्रतिस्पर्धी योजना यानी non-competitive scheme के अनुसार प्रतिभूतियों का आबंटन प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार होता है। एग्रीगेटर/ प्राप्तकर्ता कार्यालय को भुगतान दिए गए बैंक अकाउंट से नेट-बैंकिंग/ यू.पी.आई. सुविधा का उपयोग करके किया जा सकता है।

खुदरा निवेशक ए.एस.बी.ए. (A.S.B.A.) सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं, जहां पोर्टल पर बोलियां जमा करने के समय लिंक किए गए बैंक खाते में धन को अवरुद्ध किया जा सकता है जो नीलामी में सफल आबंटन पर इस खाते से डेबिट हो जाएगा। रिफंड, यदि कोई हो, एग्रीगेटर द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार निवेशक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। निवेशकों को आबंटित सिक्योरिटी, निपटान के दिन उनके आर.डी.जी. अकाउंट में जमा करके जारी की जाएगी।

सेकंडरी मार्केट में सरकारी बांड्स की खरीद और बिक्री

पंजीकृत निवेशक एन.डी.एस.-ओ.एम. के माध्यम से सरकारी सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सेकंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन लिंक का उपयोग कर सकते हैं। सरकारी बॉण्ड खरीदने के लिए, भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है:

ट्रेडिंग सत्र शुरू होने से पहले या दिन के दौरान, निवेशक को लिंक किए गए बैंक खाते से नेट-बैंकिंग /यू.पी.आई. का उपयोग करके सी.सी.आई.एल. (एन.डी.एस.-ओ.एम. का समाशोधन निगम) के

नामित खाते में धन हस्तांतरित करना होता है। वास्तविक हस्तांतरण/सफलता संदेश के आधार पर, 'खरीदें' आदेश देने के लिए एक धन सीमा (खरीद सीमा) दी जाती है। ट्रेडिंग सत्र के अंत में, निवेशक के क्रेडिट में पड़े किसी भी अतिरिक्त फंड को वापस कर दिया जाता है। यू.पी.आई. सुविधा का उपयोग करते हुए, जिसके द्वारा लिंक किए गए बैंक खाते में धनराशि को ऑर्डर देते समय ब्लॉक किया जा सकता है, निपटान के दिन डेबिट किया जाता है।

अगर निवेशक अपनी प्रतिभूति बेचना चाहे तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

बिक्री के लिए पहचान की गई प्रतिभूतियों को व्यापार के निपटारे तक आदेश देने के समय अवरुद्ध कर दिया जाता है। बिक्री लेन-देन से धन को निपटान के दिन लिंक किए गए बैंक खाते में जमा किया जाता है।

इन मूलभूत सेवाओं के अतिरिक्त पंजीकृत निवेशक निम्नलिखित सेवाओं के लिए भी आर.डी.जी. पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं:

खाता विवरण– खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाते में प्रतिभूतियों की होल्डिंग का लेन-देन, इतिहास और शेष स्थिति प्रदान किए गए लिंक से प्राप्त की जा सकती है। सभी लेन-देन अलर्ट ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।

नामांकन सुविधा- निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित नामांकन फार्म भरकर अपलोड किया जा सकता है। अधिकतम दो नॉमिनी हो सकते हैं। पंजीकृत निवेशक की मृत्यु की स्थिति में, आर.डी.जी. खाते में उपलब्ध प्रतिभूतियों को मृत्यु प्रमाण पत्र और ट्रांसमिशन फॉर्म जमा करने पर आर.डी.जी. खाते या नामांकित व्यक्ति के किसी अन्य सरकारी प्रतिभूति खाते में प्रेषित किया जा सकता है।

गिरवी/ग्रहणाधिकार– आर.डी.जी. खाते में रखी गई प्रतिभूतियाँ गिरवी/धारणाधिकार के लिए उपलब्ध होंगी।

उपहार लेन-देन– खुदरा प्रत्यक्ष निवेशकों के पास अन्य खुदरा प्रत्यक्ष निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों को उपहार में देने की ऑनलाइन सुविधा होती है।

शिकायत निवारण– खुदरा प्रत्यक्ष योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न या शिकायत पोर्टल पर उठाई जा सकती है, जिसे लोक ऋण कार्यालय (पी.डी.ओ.) मुंबई, आर.बी.आई. द्वारा नियंत्रित/ हल किया जाएगा। किसी भी समस्या या शिकायत हेतु निवेशकों के पास निम्नलिखित तीन विकल्प उपलब्ध हैं: टॉलफ्री नंबर 18002677955, ईमेल: support@rbiretaildirect.org.in अथवा रीटेल डायरेक्ट पोर्टल पर सर्विस रिक्वेस्ट करना।

***

कोविड-19 महामारी में डिजिटल बैंकिंग का वैश्विक प्रभाव : एक विश्लेषण

- नरेंद्र कुमार
प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय बाज़ारों के समक्ष अनेक नई चुनौतियाँ पैदा हो गई हैं। विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा इन अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न उपायों जैसे कि राष्ट्रव्यापी तालाबंदी, आवागमन पर प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थानों तथा परिवहन पर रोक, लोगों को यथासंभव घर पर रहने, सामाजिक दूरी का पालन करने तथा घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) करने के निर्देश लागू किए। कोविड महामारी में इन सभी उपायों के मद्देनजर एक ओर सम्पूर्ण विश्व की आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा। दूसरी ओर, इस दौरान विश्व भर में डिजिटल बैंकिंग के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे वित्तीय समावेशन को नई गति मिली।

डिजिटल बैंकिंग का वैश्विक प्रभाव

बीआईएस की भुगतान एवं बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) के आँकड़े दर्शाते हैं कि इस महामारी के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूरे विश्व में नकदी भुगतान की अपेक्षा डिजिटल भुगतान के माध्यमों को अधिकाधिक अपनाया गया। इस दौरान डिजिटल वित्त के व्यापक उपयोग में हालांकि तेज वृद्धि अवश्य हुई, परंतु शुरुआत में समाज के सभी वर्गों और उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के तत्काल उपयोग में कई बाधाएँ और समस्याएँ उभरकर सामने आईं। उदाहरण के लिए, इसके बेहतर विस्तार के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग के लिए कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन स्वामित्व, इंटरनेट उपलब्धता तथा डिजिटल कौशल का होना आवश्यक था। यह पाया गया कि ये सभी माध्यम तथा ज्ञान एवं कौशल सभी वर्गों में समान रूप से उपलब्ध नहीं थे। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं कौशल की पहुँच ग्रामीण जनसंख्या, निर्धन व्यस्कों, खासकर महिलाओं से दूर थी।

ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन एशोसिएशन (जीएसएमए) के अनुसार, निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों की महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा स्मार्ट फोन तथा मोबाइल इंटरनेट की उपलब्धता 20% कम थी। यह भी पाया गया कि प्रौद्योगिकी की उपलब्धता होने के बावजूद, पुरुषों के मुक़ाबले महिलाओं द्वारा इनका उपयोग कम किया गया। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा संचालित अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ कि डिजिटल कौशल न होने के कारण मैक्सिको तथा चीन में मोबाइल रखने वाली 33%

महिलाओं ने मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया था जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या 15% थी।

जीएसएमए के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि इन क्षेत्रों में आय की अस्थिरता, रोजगार की अनिश्चित स्थितियाँ तथा उच्च लागतों के कारण, निम्न आय उपभोक्ताओं की डिजिटल कौशल बढ़ाने में अधिक रुचि नहीं थी। कोविड-19 महामारी के दौरान इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता थी ताकि डिजिटल वित्ततंत्र जैसे सरकार से व्यक्ति (G2P) भुगतानों का पूरा लाभ लोगों को मिलता। वस्तुत: कोविड-19 के कारण सरकारी भुगतानों सहित डिजिटल भुगतान का कई देशों में व्यापक प्रचलन रहा जो एतिहासिक रूप से वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण कारक रहा। वैश्विक स्तर पर, लगभग 13 प्रतिशत खाता धारकों ने अपनी निजी क्षेत्र के वेतन, सरकारी भुगतानों या कृषि उत्पादों की बिक्री के भुगतानों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट रूप से पहला खाता खोला।

विश्व बैंक के अनुसार, कोविड-19 संबंधी राहत प्रदान करने के लिए विकासशील देशों की कम से कम 58 सरकारों ने डिजिटल भुगतानों का उपयोग किया। कुछ सरकारों द्वारा राहत राशि पहले से बने खातों में जमा की गई जबकि अन्य सरकारों द्वारा प्राप्तकर्ताओं के लिए नए खाते खोले गए। विकासशील देशों में, इन खातों में क्षेत्रों के अनुसार भिन्नता पायी गई। उदाहरणार्थ, अफ्रीका के कुछ देशों की सरकारों द्वारा ग्लोबल मनी हब के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया जबकि दक्षिण एशिया तथा लैटिन अमेरिका में स्टैण्डर्ड बैंक खाते व्यापक रूप से चलन में थे, जबकि जॉर्डन में मोबाइल वालेट्स का उपयोग किया गया।

महामारी के दौरान, निजी क्षेत्र ने भी डिजिटल भुगतानों तथा डिजिटल वित्त को तेजी से अपनाया। आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आने के बावजूद, वर्ष 2020 में मोबाइल मनी में दोगुनी वृद्धि हुई तथा 1.2 बिलियन खाते खोले गए। क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में अग्रणी वीज़ा के अनुसार वर्ष 2020 के प्रारम्भ में 13 मिलियन उपयोगकर्ताओं मे अपनी पहली ऑनलाइन लेन-देन की। महामारी के प्रारम्भ में, नाइजीरिया में मोबाइल मनी प्रोवाइडर पागा के अनुसार, उनके नेटवर्क में मर्चेन्टों की संख्या तेजी से दुगुनी हो गई थी और मोबाइल मनी सेवा ऑरेंज तथा पे-पाल द्वारा किये गए लेन-देन में अविश्वसनीय वृद्धि हुई।

वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, प्रथम वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय विप्रेषणों में तीव्र बढ़ोतरी दिखी, जबकि विशेषज्ञों को यह भय था कि कोविड-19 के कारण निम्न आय अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्तीय स्रोत अर्थात अंतरराष्ट्रीय विप्रेषण में गिरावट आ सकती है। हालांकि, शुरू में पूर्वी एशिया एवं पेसिफिक, यूरोप तथा मध्य एशिया में औपचारिक विप्रेषण प्रवाह में थोड़ी गिरावट अवश्य आई किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में यह गिरावट केवल 1.6 प्रतिशत थी।

जीएसएम के अनुसार, मोबाइल मनी माध्यमों से भेजे गए अंतरराष्ट्रीय विप्रेषणों में वर्ष 2020 में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2020 के मध्य में विश्व बैंक द्वारा विश्व के 114 अधिकारक्षेत्रों में किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में डिजिटल भुगतानों (65 प्रतिशत), डिजिटल बैंकिंग (24 प्रतिशत), बचत (22 प्रतिशत) तथा ऋण (14 प्रतिशत) गतिविधियों में तेज वृद्धि हुई। इस अवधि में विभिन्न विनियामकों द्वारा ई-केवायसी के नियमों में ढील देना, डिजिटल आईडी का उपयोग बढ़ाना, लेन-देन सीमाओं में वृद्धि करना तथा डिजिटल भुगतानों

के लिए शुल्क रद्द या कम करने जैसे कई उपाय किए गए। भारत में भुगतान अवसंरचनाओं के लिए व्यवसाय निरंतरता योजनाओं को महामारी से निपटने के लिए अनुकूल बनाया गया। इसके अतिरिक्त, डिजिटल सरकारी भुगतानों के माध्यम से भ्रष्टाचार में कमी आयी क्योंकि इसमें चोरी की संभावना कम रहती है। भारत में राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सुरक्षा भुगतानों का डिजिटलिकरण करने से सरकार को हर वर्ष लगभग 40 मिलियन डॉलर की बचत हुई, इससे निधियों की चोरी में कमी आयी। भुगतानों की वसूली करने में लोगों के समय में बचत हुई तथा राशि प्राप्तकर्ताओं को अधिक धनराशि प्राप्त हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि नकदी को आसानी से व्यय कर सकते हैं जबकि डिजिटल भुगतानों की आसानी से बचत कर सकते हैं।

अफगानिस्तान में, जिन कर्मचारियों ने अपने वेतन के कुछ हिस्से को डिजिटल रूप से अपने मोबाइल बचत खाते में जमा किया था उनकी बचत तथा वित्तीय सुरक्षा उन कार्मिकों की अपेक्षा अधिक थी जिन्होने मोबाइल बचत खाते से राशि प्राप्त की थी किन्तु डिजिटल जमा खातों को नहीं अपनाया था। महिलाओं के संबंध में, सीधे उनके खातों में डिजिटल भुगतान से उनके वित्तीय नियंत्रण में सुधार आया और उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। महामारी के दौरान सरकारी भुगतानों के समक्ष भी चुनौतियाँ थीं। ये भुगतान तब प्रभावी व कारगर सिद्ध होंगे जब विश्वसनीय मोबाइल नेटवर्क कवरेज सहित सुदृढ़ अवसंरचना आधारित वित्तीय तंत्र विकसित किया जाए। भारत, इंग्लैंड, मैक्सिको एवं फिलीपींस ने प्रारम्भ में ही विप्रेषण सेवा प्रदाताओं (आरएसपी) तथा संस्थानों के एजेन्टों को आवश्यक सेवा प्रदाताओं के रूप में घोषित कर दिया तथा उन्हें महामारी के दौरान विप्रेषण सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु अनुमति दे दी। इन देशों का अनुसरण करते हुए, विकासशील देशों (रवांडा, पाकिस्तान तथा वियतनाम) ने भी इन प्रदाताओं को विप्रेषण की अनुमति दे दी थी।

दूसरी ओर, ब्राज़ील में निम्न आय अनियत कार्मिकों के लिए कोविड संबंधी सरकारी भुगतान पूर्णत: डिजिटल खातों में सरकार स्वामित्व अधीन बैंक caixa इकोनोमिका फेडरल (सीईएफ़) द्वारा किया गया। देश में 'कोरोनावाउचर्स' के नाम से प्रसिद्ध इस आपातकालीन सहायता को वर्ष 2020 में इस महामारी में लगभग 68.3 मिलियन लोगों को भेजा गया। caixa Tem ऐप के इस्तेमाल से, प्राप्तकर्ता के पास एक चालू रूप में डिजिटल खाता था जिसका उपयोग सरकारी सेवाओं या क्यूआर कोड भुगतानों, अन्य खातों में अंतरण या एटीएम पर भीड़ को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नकदी आहरण के लिए किया जा सकता था।

जॉर्डन में, सरकार ने राष्ट्रीय सहायता निधि (एनएएफ़) तथा सामाजिक सुरक्षा निगम (एसएससी) की नियुक्ति की ताकि कोविड-19 महामारी में निर्धन परिवारों को आपात सहायता वितरित की जा सके। शुरुआत में 2,50,000 लाभार्थियों को एनएएफ़ से सहायता तथा एसएससी से 12,000 से अधिक लाभार्थियों को मोबाइल वॉलेट्स के माध्यम से सहायता दी गई।

इस दौरान भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश जैसे देशों में कम शिक्षित वृद्ध लोगों द्वारा स्मार्टफोन तथा इलेक्ट्रानिक यंत्रों जैसे कंप्यूटर तथा टेबलेट्स के इस्तेमाल करने में आई कठिनाई वित्तीय समावेशन में एक समस्या के रूप में उभरी। यह समस्या भारत में ही नहीं, बल्कि उच्च आय अर्थव्यवस्था वाले देशों जैसे कि इंगलैंड में भी पायी गई, जहां देश की सत्तर वर्ष से अधिक आयु की

33% आबादी बिना इंटरनेट के जीवनयापन कर रही थी। देश में लागू की गई तालाबंदी के दौरान वृद्ध लोगों को नकदी के स्थान पर डिजिटल माध्यम अपनाने में कठिनाई हुई। विश्व के अन्य देशों में नकदी संग्रह करने वाले मर्चेन्टों, जिन्हें उनकी दुकानों व सड़कों में चोरी का भय था, के लिए डिजिटल भुगतान एक सुरक्षित विकल्प बन गया। कीनिया में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि व्यवसायों द्वारा मोबाइल मनी के अपनाने से चोरी की घटनाओं में कमी आई, उत्पादकता में वृद्धि हुई तथा व्यवसायों तथा उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच अधिक संख्या में लेन-देन हुए। कोविड महामारी की शुरुआत में, भारत में माइक्रो मर्चेंट्स के अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकतर मर्चेंट्स तथा उनके ग्राहकों द्वारा डिजिटल माध्यमों की तुलना में नकदी को अधिक सुविधाजनक तथा भरोसेमंद पाया गया क्योंकि अनिश्चित विद्युत आपूर्ति, इंटरनेट की धीमी स्पीड तथा पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स के इस्तेमाल में दिक्कत हो रही थी। अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों द्वारा डिजिटल मर्चेन्ट भुगतान का अधिक इस्तेमाल किया गया। तुर्की में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों द्वारा डिजिटल मर्चेन्ट भुगतान 14% अधिक किया गया जबकि मैक्सिको में यह अनुपात 50% था। हालांकि, इस अवधि में जॉर्जिया एक ऐसा देश था जहां पुरुषों व महिलाओं द्वारा समान रूप से डिजिटल मर्चेन्ट भुगतान किया गया। इस महामारी में, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में, Now Money ने फिनटेक फर्म का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसने कई बैंक-रहित प्रवासी कार्मिकों के लिए एक डिजिटल वेतन भुगतान तथा भुगतान समाधान प्रदान कर वित्तीय समावेशन में प्रभावी योगदान दिया।

बांग्लादेश में जब वर्ष 2020 में कोविड का प्रकोप बढ़ा, तो कई कंपनियों ने बांग्लादेश से निर्यात आदेश रद्द कर दिये थे, जिससे उन्हें कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। सामाजिक विरोध के कारण कुछ ब्राण्डों ने हालांकि भुगतान कर दिये थे किन्तु बहुत से ख़रीदारों ने अपने आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूरित नहीं रखा जिसके फलस्वरूप कई कारखाने बंद हुए तथा आपूर्ति शृंखला में भारी व्यवधान आया। हालांकि, बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न आपातकालीन उपायों जैसे क्रेडिट कार्ड शुल्कों में छूट देना, ऋणों पर ब्याज न लेना तथा अनर्जक ऋणों के वर्गीकरण में विलंब करते हुए राहत प्रदान की गई।

डिजिटल बैंकिंग : अवसर तथा जोखिम

यह सर्वविदित है कि कोविड-19 ने पूरे विश्व के बाज़ारों में डिजिटल वित्तीय समावेशन की गति और दिशा बदल दी है। हालांकि, डिजिटल वित्तीय समावेशन के इस व्यापक विस्तार में अवसरों के साथ कुछ जोखिम भी उभरकर आए हैं, विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए, जिनके पास डिजिटल एक्सेस सीमित हैं तथा जिनमें डिजिटल कौशल व अनुभव की कमी हैं। पुरानी पीढ़ी के उपभोक्ताओं में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रति भय तथा परंपरागत बैंकिंग के प्रति लगाव डिजिटल वित्तीय समावेशन में बाधक सिद्ध हुआ। डिजिटल सेवाओं के उपयोग बढ़ाने में, विशेष रुप से बैंकरहित वंचित वर्गों तथा महिलाओं के बीच, वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता अहम भूमिका निभा सकती हैं।

***

मानव संसाधन प्रबंधन में डिजिटल बैंकिंग की भूमिका

- संजय कुमार
प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू

मनुष्य ने पिछली एक सहस्राब्दी में जो प्रगति की है, उससे कहीं अधिक प्रगति पिछले दो दशकों में हुई है। इस प्रगति का यदि कोई सबसे बड़ा सूत्रधार है तो वह है- प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी ने मनुष्य के जीवन को आमूल-चूल बदलकर रख दिया है। जिन चीज़ों को कभी मिथक समझा जाता था, वे अब हकीकत का रूप ले रही हैं। महाभारत और रामायण काल में आकाशवाणी होने अथवा दिव्यदृष्टि के द्वारा सब कुछ देख लेने की जो हम गाथाएं सुना करते थे, वे आज वायरलेस टेक्नॉलॉजी, आईपी सीसीटीवी और कृत्रिम मेधा (artificial intelligence) से संचालित रोबोट, चैटबोट इत्यादि जैसे नाना के रूपों में हमारे सामने हैं। प्रौद्योगिकी की बदौलत आज हरेक चीज़ मनुष्य के इशारों पर नाचती नज़र आ रही है। चूँकि आज का युग एक आर्थिक युग है और बैंकिंग आर्थिक गतिविधियों की धुरी है, अतएव प्रौद्योगिकी-नीत परिवर्तनों से बैंकिंग भी अछूती नहीं रही।

प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग को न केवल भारी-भरकम लेज़रों और शाखाओं की चहारदीवारी से बाहर निकाला है, अपितु उसे डिजिटल बैंकिंग के रूप में सर्वसुलभ और सार्वकालिक बनाया है। डिजिटल बैंकिंग के सकारात्मक प्रभाव केवल बैंकिंग लेन-देन अथवा उसके प्रयोक्ताओं तक ही सीमित नहीं हैं, अपितु जीवन के अन्य आयामों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसा ही एक आयाम है, मानव संसाधन प्रबंधन। डिजिटल बैंकिंग ने मानव संसाधन प्रबंधन को किस तरह से प्रभावित किया है, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। लेकिन इसके पूर्व डिजिटल बैंकिंग पर एक विहंगम दृष्टि डाल लेना प्रासंगिक होगा।

डिजिटल बैंकिंग क्या है

डिजिटल बैंकिंग पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं का स्वचालन (automation) है। डिजिटल बैंकिंग बैंक के ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह भौतिक रूप से होने वाले सभी बैंकिंग परिचालनों जैसे - फंड ट्रांसफर, बचत खाता प्रबंधन, ऋण प्रबंधन, बिल भुगतान, चेक प्रबंधन, बैंक स्टेटेमेंट आदि को डिजिटलाइज़ करने की प्रक्रिया है ताकि बैंकिंग सेवाओं के उपभोक्ताओं को इनके लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता न पड़े। यह सभी काग़ज़ी कार्रवाइयों जैसे चेक, पे-इन स्लिप, डिमांड ड्राफ्ट आदि से मुक्ति के साथ-साथ चौबीसों घण्टे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी उपक्रम है। भारत में प्रचलित कुछ प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ हैं :

1. ***बैंकिंग कार्ड्स :*** डेबिट/क्रेडिट या प्रीपेड बैंकिंग कार्ड, जिनका उपयोग नकदी से इतर उद्देश्यों के लिए किया जाता हो।

2. ***यूएसएसडी :*** यह डिजिटल भुगतान की ऐसी विधि है जिसमें ग्राहक *99# डायल करके अपने मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से एक इंटरैक्टिव वॉयस मेनू के साथ बातचीत के द्वारा लेन-देन संपन्न

करता है। इसके लिए खाते से मोबाइल नंबर का लिंक होना आवश्यक है।

*3. **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) :*** आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के अंतर्गत सभी लेन-देन ग्राहक के आधार प्रमाणीकरण के आधार पर पॉस मशीन के द्वारा बैंकिंग प्रतिनिधि के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं।

*4. **यूपीआई :*** यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से एक या अधिक बैंक खातों को लिंक करने और खाता संख्या या IFSC कोड के बिना भी पैसे ट्रांसफर करने में सक्षम बनाती है।

*5. **मोबाइल वॉलेट :*** मोबाइल वॉलेट एक प्रकार की वर्चुअल वॉलेट सेवा है, जिसका उपयोग ऐप डाउनलोड करके किया जा सकता है। डिजिटल या मोबाइल वॉलेट में बैंक खाते या डेबिट/क्रेडिट कार्ड की जानकारी कूट भाषा में संग्रहीत रहती है।

*6. **बैंक प्रीपेड कार्ड :*** प्रीपेड कार्ड एक प्रकार का भुगतान कार्ड है जिसमें आप खरीदारी करने के लिए अपने बैंक खाते से पैसे लोड कराते हैं।

*7. **पॉस टर्मिनल :*** पॉस अर्थात प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) टर्मिनल विभिन्न स्टोरों पर स्थापित एक छोटा-सा इलेट्रॉनिक उपकरण है, जिस पर ग्राहक अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड को स्वाइप करके बिलों का भुगतान करते हैं। कार्ड स्वाइप करने और पिन डालने पर ग्राहक के खाते से राशि कटकर दुकानदार के खाते में चली जाती है।

*8. **इंटरनेट बैंकिंग :*** इंटरनेट बैंकिंग का तात्पर्य ऑनलाइन बैंकिंग लेन-देन से है। इसे ई-बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है। इसका उपयोग ऑनलाइन मियादी या आवर्ती जमा खाते खोलने, चेक हेतु आवेदन, स्टॉप पेमेंन्ट, खाता बंद करने, खाता विवरण निकालने, NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से निधि अंतरण आदि के लिए किया जाता है।

*9. **मोबाइल बैंकिंग :*** मोबाइल बैंकिंग का आशय स्मार्टफोन के माध्यम से वित्तीय /बैंकिंग लेन-देन करना है। इसमें यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल भुगतान ऐप आदि के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान भी शामिल हैं।

*10. **भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) ऐप :*** भीम ऐप उपयोगकर्ताओं को यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए उपयोगकर्ता को अपने बैंक खाते/डेबिट कार्ड को भीम इंटरफेस से लिंक करना होता है।

डिजिटल बैंकिंग की मानव संसाधन प्रबंधन में भूमिका

अक्सर लोग डिजिटल बैंकिंग की भूमिका को सिर्फ बैंकिंग लेन-देन को सुगम बनाने तक सीमित करने की भूल कर बैठते हैं, पर वास्तविकता तो यह है कि आज हम विकासवाद की जो भी तस्वीर देख रहे हैं, वह कहीं न कहीं डिजिटल बैंकिंग से अनुप्राणित है। डिजिटल बैंकिंग ने आर्थिक क्रियाओं के साथ-साथ गैर आर्थिक क्रियाओं को भी संजीवनी प्रदान की है। ऐसा ही एक क्षेत्र है- मानव संसाधन प्रबंधन, जिसमें डिजिटल बैंकिंग ने अग्रणी भूमिका निभाई है। डिजिटल बैंकिंग का प्रभाव सरकारी और निजी क्षेत्र के मानव संसाधन के साथ-साथ लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर भी देखा जा सकता है। आगे के बिंदुओं में हम इसी बात का अध्ययन करेंगे:

सरकारी क्षेत्र के मानव संसाधन प्रबंधन में डिजिटल बैंकिंग का योगदान

डिजिटल बैंकिंग ने सरकारी क्षेत्र के मानव संसाधन को युक्तिसंगत स्तर पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चर्चा के प्रयोजन से हम सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों (निजी क्षेत्र के बैंक सहित) को भी शामिल करेंगे। सबसे पहले डिजिटल बैंकिंग के सूत्रधार बैंकिंग क्षेत्र की बात करते हैं। डिजिटल बैंकिंग के कारण बैंक जाने वाले ग्राहकों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई

है। मैकेंज़ी द्वारा सितंबर, 2021 में प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार करीब 70 प्रतिशत बैंक ग्राहकों का डिजिटल बैंकिंग एक पसंदीदा विकल्प था[1]। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित भुगतान प्रणाली संकेतक – दिसंबर, 2021 से भी पता चलता है कि डिजिटल बैंकिंग के प्रयोक्ताओं और डिजिटल लेन-देन के परिमाण में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार जहाँ दिसंबर, 2020 में यूपीआई भुगतान रु. 4,16,176 करोड़ का था, वह दिसंबर, 2021 में बढ़कर रु. 8,26,848 करोड़ गया, जो लगभग दोगुनी वृद्धि है। वहीं IMPS लेन-देन जो दिसंबर, 2020 में रु. 2,92,325 करोड़ था, वह दिसंबर, 2021 में बढ़कर रु. 3,96,411 करोड़ हो गया। भीम आधार पे के द्वारा होने वाला लेन-देन भी दिसंबर 2020 के रु.187 करोड़ के मुकाबले दिसंबर 2021 में बढ़कर रु. 611 करोड़ हो गया। वॉलेट से होने वाला भुगतान दिसंबर 2020 के रु. 13,392 करोड़ की तुलना में दिसंबर 2021 में बढ़कर रु. 21,220 करोड़ हो गया।

यही हाल क्रेडिट कार्ड से होने वाले भुगतानों का भी था जो दिसंबर 2020 के रु. 63,487 करोड़ के मुकाबले दिसंबर 2021 में बढ़कर रु. 93,907 करोड़ हो गया।[2] भारतीय रिज़र्व बैंक की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट से भी डिजिटल लेन-देन की बढ़ती प्रवृत्ति का पता चलता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान गैर-नकद खुदरा भुगतान के कुल परिमाण में डिजिटल लेन-देन की हिस्सेदारी 98.5 प्रतिशत थी।[3]

कल्पना कीजिए, यदि डिजिटल बैंकिंग न होती तो क्या बैंक अपने मौजूदा आधारभूत ढाँचे और मौजूदा कार्यबल से इतने बड़े पैमाने पर होने वाले लेन-देनों को संभाल सकते थे? डिजिटल बैंकिंग के कारण बैंक आने वाले ग्राहकों में कमी आई है और इसके फलस्वरूप बैंकों को न तो उतने काउंटर खोलने की आवश्यकता रही और ना ही हर काउंटर पर स्टाफ बैठाने की। डिजिटल बैंकिंग के चलते नकदी का लेन-देन भी घटा है, जिसके कारण नकदी संभालने वाले स्टाफ और उसके प्रेषण तथा सुरक्षा में लगे स्टाफ की आवश्यकता भी घटी है। शाखा-परिसर में कम ग्राहक आने के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों (जो सफाई कार्य, ग्राहकों को विभिन्न फार्म/ पर्चियाँ प्रदान करने/ उनका सत्कार करने में लगे थे) की आवश्यकता भी घटी है। इससे जहाँ बैंकों की वेतन-भत्तों, आधारभूत सुविधाओं आदि पर खर्च होने वाली राशि बची है, वहीं वे सीमित स्टाफ से बड़ा कारोबार करने में सक्षम हुए हैं। ग्राहकों की कम आवक के कारण फ्रंट काउंटरों के स्टाफ अब ऋण मूल्यांकन, वसूली जैसे कार्यों में भी सहयोग दे पा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग की वजह से शाखा आने वाले ग्राहकों को भी गुणवत्तापरक सेवा मिलना संभव हुआ है। इसका एक लाभ बैंकरों को यह हुआ है कि उन्हें ग्राहक-आधार को बनाए रखने में ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है, और इससे उनका मानसिक तनाव कुछ कम हुआ है।

डिजिटल बैंकिंग ने कागज़ रहित बैंकिंग को भी बढ़ावा दिया है जिसके कारण बैंक शाखाएं लेज़रों, बहियों, वाउचरों के ढ़ेर से मुक्त हुई हैं। इससे न केवल शाखाओं का परिवेश बेहतर हुआ है, अपितु पर्यावरण को भी परोक्ष लाभ हुआ है। खुले परिवेश में काम करने वाले स्टाफ संकुलित जगहों पर काम करने वाले स्टाफ के मुकाबले अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं।

डिजिटल बैंकिंग ने बैंकों से इतर विभागों/कार्यालयों में भी मानव संसाधन के युक्तियुक्त उपयोग में मदद की है। वहाँ भी नकदी के लेन-देन से जुड़े/लेखा कार्य में लगे स्टाफ की आवश्यकता घटी है। उदाहरण के लिए, जब ऑनलाइन टिकट बुकिंग का दौर नहीं था, तो उस समय रेलवे के आरक्षण काउंटरों पर भारी भीड़ जुटा करती थी। इस भीड़ को सेवा देने के लिए कई काउंटर खोलने पड़ते थे। प्रत्येक काउंटर पर काम करने वाला व्यक्ति लिपिकीय कार्य के साथ-साथ एक कैशियर का काम भी करता था। यही हाल बिजली और टेलीफोन बिल, स्कूल फीस, म्यूनिसिपल टैक्स या

[1] The Economictimes, 24 Sep 2021

[2] https://www.rbi.org.in/Scripts/PSIUserView.aspx

[3] RBI Annual Report 2020-21

अन्य प्रकार का टैक्स जमा करने वाले काउंटरों पर भी था। पर जब से ऑनलाइन टिकट बुक करने और ऑनलाइन बिल/कर/फीस आदि जमा करने की सुविधा शुरू हुई, न तो इन काउंटरों की आवश्यकता रही और न ही उन पर काम करने वाले स्टाफ की। इसके अतिरिक्त, बैक-एंड पर एकाउंटिंग करने वाले और काउंटरों से प्राप्त धन को बैंक में जमा करने वाले स्टाफ की आवश्यकता भी स्वत: समाप्त हो गई। आज लोग ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर रहे हैं और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर पा रहे हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भी ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन भुगतान की इस प्रक्रिया से जहाँ सरकारी विभागों और बैंकों के बीच भुगतान के संबंध में होने वाले तमाम कागज़ी पत्राचार पर विराम लगा है, वहीं लाभार्थियों की भुगतान से जुड़ी शिकायतें भी कम हुई हैं। इससे ई-गर्वनेंस को भी बढ़ावा मिला है और स्टाफ की ज़रूरत भी घटी है।

निजी क्षेत्र के मानव संसाधन प्रबंधन में डिजिटल बैंकिंग का योगदान

डिजिटल बैंकिंग के कारण मानव संसाधन के युक्तियुक्त प्रयोग का जितना लाभ सरकारी क्षेत्र को हुआ, उससे कहीं अधिक लाभ निजी क्षेत्र को हुआ। जब सभी लेन-देन नकद रूप में होते थे तो प्राय: बड़े दुकानदार पैसों के हिसाब-किताब के लिए अपने यहाँ मुनीम रखते थे। ये मुनीम एकाउटेंट और कैशियर दोनों का काम करते थे। जिन दुकानों पर भारी टर्नओवर होता था, वहाँ तो कुछेक स्टाफ असली-नकली नोटों की पहचान करने, गड्डियाँ बनाने, नकदी और चेकों को बैंकों में जमा करने के कार्य में लगे होते थे। किंतु जबसे प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग प्रारंभ हुई, ये दुकानदार अपने यहाँ पॉस मशीनें रखने लगे अथवा क्यूआर कोड, ई-वालेट या नेट बैंकिंग से भुगतान स्वीकार करने लगे। इस व्यवस्था से उन्हें नकदी का हिसाब-किताब रखने वाले, तग़ादे पर जाने वाले और गुल्लक की हिफ़ाज़त करने वाले स्टाफ की ज़रूरत न रही। डिजिटल लेन-देन की व्यवस्था से दुकानदारों और व्यापारियों में सुरक्षा का भाव जगा है और वे देर तक दुकान/प्रतिष्ठान खोल सकते हैं तथा देर-सबेर घर लौट सकते हैं। इसके अलावा आज ई-कामर्स भी खूब लोकप्रिय हो रहा है, जिससे व्यापारियों को न तो बड़े-बड़े शोरूम खोलने की आवश्यकता रही और ना ही उनके रख-रखाव एवं ग्राहकों को अटेंड करने वाले स्टाफ की। अब वे अपने गोदाम से ही ऑनलाइन आर्डरों का प्रबंधन कर पा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देने में यद्यपि ई-कामर्स कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, किन्तु यह भूमिका वे डिजिटल लेन-देन के बूते ही निभा पा रही हैं।

वर्तमान में चाहे म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, शेयरों की खरीद हो, कमोडिटी मार्केट में निवेश करना हो, बीमा लेना हो, गाडियाँ बुक करानी हों, फास्टैग रिचार्ज करना हो, सभी काम ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग के कारण संभव हो रहे हैं। इसके कारण तमाम वित्तीय मध्यस्थों, एजेंटों आदि की भूमिका समाप्त हो गई है, जिसका लाभ कंपनियों को अपनी परिचालन लागत घटाने और केवल विशिष्ट एवं कुशल स्टाफ को बनाए रखने के रूप में मिल रहा है।

लोगों को सशक्त करने में डिजिटल बैंकिंग का योगदान

यदि व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल बैंकिंग के योगदान का आकलन करें तो पाते हैं कि इसके कारण लोगों के समय और श्रम की बचत हुई है। परंपरागत बैंकिंग के दौर में जब कंप्यूटरीकरण नहीं था, उस समय एक छोटे से छोटे लेन-देन के लिए लोगों को पूरा दिन बैंक के नाम क़ुर्बान करना पड़ता था। दूरस्थ शाखाओं तक पहुँचने के लिए पैदल या परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ता था। पर जब से डिजिटल बैंकिंग शुरू हुई, लोगों को लेन-देन के लिए न तो बैंक शाखा जाने की ज़रूरत रही, और न ही इस क्रम में धूप,बारिश या यात्रा का दर्द सहने की। इसके अतिरिक्त वे बैंक के कारोबार समय में ही बैंकिंग कर पाने की बंदिशों से भी मुक्त हुए हैं। इससे लोगों का न केवल समय बच रहा है, बल्कि लेन-देन की लागत भी कम हुई है। आज के

दौर में समय एक अमूल्य निधि है, और समय की बचत पूँजी की बचत है। डिजिटल बैंकिंग के कारण समय की बचत पढ़े-लिखे और अनपढ़ सभी को हो रही है। किसान जहाँ आधार सक्षम भुगतान प्रणाली से अपने गाँव में लेन-देन कर पा रहे हैं, वहीं छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बैंक-ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।

डिजिटल बैंकिंग के कारण समय और श्रम की बचत सिर्फ बैंकिंग लेन-देन तक ही सीमित नहीं है, अपितु रोज़मर्रा के अन्य क्रिया-कलापों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। बिजली, पानी, गैस, फोन आदि के बिलों के भुगतान लोग घर बैठे कर रहे हैं, ऑनलाइन टिकिट बुक कर पा रहे हैं, घर बैठे कर जमा कर पा रहे हैं। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के कारण जहाँ सुविधा प्रदाताओं को समय से भुगतान मिल रहा है, वहीं सेवा-भोगी को चूक या विलंब के कारण लगने वाले दण्ड से मुक्ति मिल रही है। अब तो लोगों को भोजन, नाश्ता, फल, सब्जी आदि के लिए भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वे घर या ऑफिस से ही ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं और मन पसंद चीज़ें उनके सम्मुख होती हैं। इस ऑनलाइन शॉपिंग के कारण जहाँ लोगों का समय, श्रम और आने-जाने का खर्च बच रहा है, वहीं समय की इस बचत का उपयोग वे अपने कारोबार या अन्य उत्पादक गतिविधियों में कर पा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल लेन-देन के चलते लोगों का सड़कों पर आवागमन कम हुआ है जिसके कारण भीड़, जाम और तदजन्य तनाव में भी कमी आई है।

समग्र रूप से देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग ने लोगों को हर प्रकार से सशक्त किया है। आज मोबाइल व्यक्ति की सबसे आवश्यक वस्तु बन गई है। घर से बाहर निकलते समय व्यक्ति सबसे पहले यही चेक करता है कि उसने मोबाइल लिया है या नहीं। यहाँ तक पैसे और पर्स भी उसकी वरीयता में नहीं होते, क्योंकि यदि मोबाइल उसके पास है तो वह ई-वालेट, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के द्वारा अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ जुटा सकता है। कोविड-19 के कठिन दौर में जब आना-जाना प्रतिबंधित था, उस समय रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियाँ यदि सुचारु रूप से चलती रहीं तो इसमें बड़ा योगदान डिजिटल बैंकिंग का है।

डिजिटल लेन-देन आज मनुष्य के लिए वरदान से कम नहीं है। इसने न केवल लोगों की जिंदगी को आसान किया है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता पर भी पड़ता है। डिजिटल बैंकिंग ने परोक्षत: लोगों की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद की है। सारांशत: कहा जा सकता है कि डिजिटल बैंकिंग ने न केवल बैंकिंग संस्थाओं/सरकारी कार्यालयों में मानव संसाधन की कमी की भरपाई की है, अपितु उसके युक्तिसंगत उपयोग का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इसके कारण न सिर्फ संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ी है, अपितु बैकिंग सेवाओं के प्रत्यक्ष और परोक्ष उपभोक्ता भी समर्थ और सशक्त हुए हैं।

***

क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया : दो दशकों का सफर

- सहाना राजाराम, कनिष्ठ उपाध्यक्ष
अरुण कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई

क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना इंडियन जी-सेक, मनी (रेपो और सीबीएलओ), फॉरेक्स तथा डेरिवेटिव मार्केट में लेन-देन वाली सेंट्रल काउंटरपार्टी (सीसीपी) के रूप में वर्ष 2001 के दौरान की गई थी। अपनी स्थापना की शुरुआत में ओवर-द-काउंटर मार्केट के अंदर सीसीपी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत सीसीआईएल, अब इंटरेस्ट रेट व एक्सचेंज रेट मार्केट में कई नए उत्पाद शुरू करके तथा इन बाज़ारों के लिए कई बुनियादी ढांचे तैयार करके भारतीय वित्तीय बाजार की पथ-प्रदर्शक बन गई है।

सीसीआईएल उन चंद वैश्विक सीसीपी में गिनी जाती है, जो सरकारी बॉन्ड्स में ट्रेड (ऑउटराइट्स और रेपोज) की गारंटी देती हैं तथा वैश्विक स्तर पर फॉरेक्स ओटीसी डेरिवेटिव्स (फॉरेक्स फॉरवर्ड्स) की एकमात्र सीसीपी है। यह सरकारी प्रतिभूतियों के लिए ट्राइपार्टी रेपो एजेंट है और ट्राइपार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम (टीआरईपीएस) पर किए गए हर ट्राइपार्टी रेपो ट्रेड का सीसीपी सेटलमेंट करती है। सीसीआईएल ओटीसी डेरिवेटिव्स मार्केट में रुपया मूल्यवर्ग वाले डेरिवेटिव्स के लिए सीसीपी क्लियरिंग सेवाएं प्रदान करती है। बहुपक्षीय जुड़ाव और पुराने अनुबंधों की जगह नए अनुबंध विस्थापित करने की प्रक्रिया के माध्यम से सीसीआईएल द्वारा गारंटीशुदा सेटलमेंट वाला प्रावधान देने के परिणामस्वरूप काउंटरपार्टी, परिचालन जोखिम व अनिश्चितताएं समाप्त हो गई हैं तथा इसके नतीजे में लिक्विडिटी की उपलब्धता, मार्केट के विस्तार में सहायक सिद्ध हुई है। हर सीसीपी सेटलमेंट सेगमेंट में वर्ष 2020 के दौरान शुरू किए गए क्लियरिंग मेम्बर संरचना जैसे नवाचारों ने क्लियरिंग मेम्बर के माध्यम से इन मार्केट में नॉन-सीसीआईएल मेम्बर के लेन-देन का सीसीपी सेटलमेंट करने में मदद की है। सीसीआईएल को जनवरी, 2014 में रिज़र्व बैंक द्वारा एक क्वालीफाइड सीसीपी (क्यूसीसीपी) के रूप में मान्यता दी गई है और प्राधिकृत किया गया है। सीसीआईएल ने इन मार्केट में ट्रेडिंग का बुनियादी ढांचा विकसित करने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। इसने सरकारी प्रतिभूति बाजार के लिए आरबीआई के स्वामित्व वाला नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) जैसा एनॉनिमस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तथा खुदरा निवेशकों के लिए रिटेल डाइरेक्ट जैसा प्राइमरी और सेकंडरी मार्केट इंटरफेस विकसित किया है। एनडीएस-कॉल प्लेटफॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से कॉल मार्केट में लेन-देन करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

मनी मार्केट में इसने रेपो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए क्लियरकॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) तथा ट्राइपार्टी रेपो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (टीआरईपीएस) जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एफएक्स-क्लियर इस मार्केट में एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकों द्वारा और व्यक्तियों को ट्रेडिंग करने का सुभीता प्रदान करता है। रुपी ओटीसी इंटरेस्ट-रेट डेरिवेटिव्स (एस्ट्रोइड) प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करने के एफएक्स-स्वैप और एनॉनिमस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर इंटरेस्ट रेट स्वैप (आईआरएस), ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) जैसे विभिन्न ओटीसी डेरिवेटिव साधनों की ट्रेडिंग को सक्षम बनाता है।

इस मार्केट के हर ट्रेड को कैप्चर करने के लिए सीसीआईएल द्वारा वर्ष 2007 में एक ट्रेड रिपोजिटरी की स्थापना ओटीसी डेरिवेटिव्स क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण नवाचार थी। यह रिपोजिटरी इंटरेस्ट-रेट वाले डेरिवेटिव्स के साथ शुरू हुई थी और वर्तमान में यह फॉरेक्स डेरिवेटिव्स सहित सभी ओटीसी डेरिवेटिव लेन-देन को कैप्चर कर रही है। इसके अलावा एफ-टीआरएसी रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट में सेकंडरी एवं प्राइमरी मार्केट की गतिविधि को कैप्चर करने वाली एक रिपोजिटरी है। ये ट्रेड रिपॉजिटरी इन मार्केट में पहले से ज्यादा पारदर्शिता लाई हैं।

सीसीआईएल के परिचालन वाले मार्केट सेगमेंट

1. सरकारी प्रतिभूति बाजार

सीसीआईएल सरकारी प्रतिभूतियों के हर सेकंडरी मार्केट लेन-देन की क्लियरिंग और सेटलमेंट वाली सुविधा प्रदान करती है। इसमें एनडीएस-ओएम, टीआरईपीएस और सीआरओएमएस प्लेटफॉर्म पर निपटाए और रिपोर्ट किए गए ऑउटराइट व रेपो लेन-देन शामिल हैं। सीसीआईएल ने फरवरी, 2002 में एक सेंट्रल काउंटरपार्टी के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों के सेकंडरी मार्केट लेन-देन का सेटलमेंट करने के साथ अपना परिचालन शुरू किया था। वर्तमान में ऑउटराइट, मार्केट रेपो और टीआरईपी मार्केट के ट्रेड सीसीआईएल में सेटलमेंट के लिए निर्बाध रूप से आते हैं। बहुपक्षीय जुड़ाव के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों में गारंटीशुदा क्लियरिंग व सेटलमेंट ट्रेडों के सूत्रपात ने आरबीआई को इस मार्केट में और ज्यादा सुधार लाने में सक्षम बनाया है, जैसे कि उसी दिन खरीद और बिक्री की सुविधा, कवर की गई शॉर्ट-सेलिंग, रेपो रोलओवर, व्हेन इश्यूड मार्केट आदि। टियर्ड मेम्बरशिप स्ट्रक्चर और क्लियरिंग मेम्बरशिप स्ट्रक्चर जैसे कदमों ने मार्केट प्रतिभागियों के बीच सरकारी प्रतिभूति बाजार की पहुंच को व्यापक बनाने में मदद की है।

सरकारी प्रतिभूतियों की सेकंडरी मार्केट ट्रेडिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक एनॉनिमस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाले एनडीएस-ओएम सिस्टम ने इस मार्केट में और ज्यादा पारदर्शिता तथा मूल्य खोज को बढ़ावा देने में मदद की है। इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने सभी ट्रेडों को समेकित करने में मदद की है तथा इसने वॉयस और प्लेटफॉर्म द्वारा किए गए सरकारी प्रतिभूतियों के ट्रेड्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर निपटाया है। इसने इस मार्केट में छोटे खुदरा निवेशकों की भागीदारी कराई है, इस मार्केट में एफपीआई ट्रेडिंग की ऑनलाइन निगरानी की है और इस मार्केट की सेकंडरी मार्केट ट्रेडिंग में शॉर्ट-सेलिंग, व्हेन इश्यूड जैसी सुविधाओं को शुरू करवाया है।

एक एसटीपी सक्षम इलेक्ट्रॉनिक एनॉनिमस ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म 'क्लियरकॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस)' जनवरी 2009 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के मार्केट रेपो वाले सौदे कराने हेतु शुरू किया गया था। सीआरओएमएस दो प्रकार के रेपो में सौदे करने की सुविधा प्रदान करता है- बास्केट रेपो और स्पेशल रेपो, जो टी+0 और/या टी+1 सेटलमेंट का पारंपरिक रेपो है। बास्केट रेपो में लेंडर को एक विशिष्ट बास्केट का हिस्सा बनने वाली प्रतिभूतियों

के समूह में से कोई लिक्विड सेक्योरिटी देने का आश्वासन दिया जाता है, जिससे उसके द्वारा कोई रेपो ऑर्डर शुरू करते समय किसी सेक्योरिटी को पूर्व-निर्दिष्ट करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा री-रेपो लेन-देन, घटक सदस्यों के लिए रेपो लेन-देन का सुभीता देने जैसी सुविधाओं ने इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग को बढ़ावा देने में मदद की है।

टीआरईपीएस एक अनॉनिमस ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है, जो ट्राइपार्टी रेपो के तहत जी-सेक्योरिटिज के एवज में फंड उधार लेने और देने की सुविधा प्रदान करता है। सीसीआईएल को आरबीआई द्वारा एक ट्राइपार्टी रेपो एजेंट के रूप में कार्य करने और अपने सेक्योरिटिज सेगमेंट के तहत सेक्योरिटिज रेपो लेन-देन की सीसीपी क्लियरिंग करने हेतु अधिकृत किया गया था और इसे नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। सीसीआईएल ट्राइपार्टी रेपो लेन-देन की सीसीपी क्लियरिंग कराती है तथा एक ट्राइपार्टी रेपो एजेंट की भूमिका और जिम्मेदारियों को भी निभाती है।

2. फॉरेक्स मार्केट

सीसीआईएल ने नवंबर 2002 से इंटर-बैंक कैश, टॉम, स्पॉट और फॉरवर्ड यूएसडी-आईएनआर ट्रेड्स के लिए गारंटीशुदा सेटलमेंट करना शुरू किया था। सीसीआईएल ने किसी विदेशी मुद्रा में गारंटीशुदा सेटलमेंट उपलब्ध कराने में निहित जोखिम को घटाने के लिए इस मार्केट में सेटलमेंट तंत्र के पेमेंट बनाम पेमेंट (पीवीपी) आधार को अपनाया है। सीसीआईएल मैच किए जा चुके सभी फॉरवर्ड ट्रेड्स का 13 महीने तक की एक रेसीडुअल मैच्योरिटी के साथ गारंटीशुदा सेटलमेंट भी करती है। अन्य मुद्राओं में किए गए ट्रेड्स के मामले में सीसीआईएल सीएलएस बैंक के माध्यम से भारतीय बैंकों के क्रॉस करेंसी ट्रेड्स का सेटलमेंट करती है। यह एक अनूठी व्यवस्था है जिसके तहत सीसीआईएल सदस्य बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी ट्रेड्स को एकत्रित करती है और एक थर्ड-पार्टी की व्यवस्था के माध्यम से सेटलमेंट कराती है।

फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एफएक्स-क्लियर को अगस्त, 2003 में यूएसडी-आईएनआर स्पॉट, स्वैप और अन्य लेन-देन की इलेक्ट्रॉनिक इंटर-बैंक ट्रेडिंग उपलब्ध कराने हेतु लॉन्च किया गया था। यह प्लेटफॉर्म एसटीपी (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग) प्रदान करता है, जिसमें ये सभी ट्रेड स्वचालित रूप से सीसीआईएल को गारंटीशुदा सेटलमेंट के लिए भेज दिए जाते हैं। फॉरेक्स मार्केट में और ज्यादा पारदर्शिता लाने हेतु बैंक ग्राहकों के लिए यूएसडी/आईएनआर मुद्राओं वाले पेयर में एक एनॉनिमस और ऑर्डर संचालित डीलिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के इरादे से एफएक्स-रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2020 में इस प्लेटफॉर्म पर रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बुकिंग भी सक्षम की गई थी। एफएक्स-स्वैप अत्यधिक ब्रोकर संचालित फॉरेक्स स्वैप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए एक एनॉनिमस, ऑर्डर मैचिंग डीलिंग सिस्टम है। इस प्लेटफार्म पर संपन्न सभी ट्रेड स्वचालित रूप से सेटलमेंट के लिए सीसीआईएल को भेज दिए जाते हैं।

3. डेरिवेटिव्स

सीसीआईएल इंडियन ओटीसी डेरिवेटिव्स मार्केट में कई भूमिकाएं निभाती है। यह रुपी इंटरेस्ट रेट स्वैप्स (आईआरएस), फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स (एफआरए) और इंटर-बैंक यूएसडी/आईएनआर फॉरवर्ड ट्रेड्स के लिए सीसीपी सेटलमेंट सेवाएं प्रदान करती है। यह सभी ओटीसी इंटर-बैंक और क्लाइंट इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स और क्रेडिट डेरिवेटिव्स की ट्रेड रिपोजिटरी है, जिसमें नॉन-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट (एनडीडीसी) भी शामिल हैं। रुपी ओटीसी इंटरेस्ट-रेट डेरिवेटिव्स (एस्ट्रॉइड) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग का एनॉनिमस सिस्टम एमआईबीओआर ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वैप (ओआईएस) अनुबंधों में ट्रेडिंग की पेशकश करता है।

इंटर-बैंक मार्केट के लिए ट्रेड रिपोजिटरी सेवा अगस्त 2007 में शुरू की गई थी और दिसंबर 2013 तक इसे हर क्लाइंट ओटीसी लेन-देन हेतु विस्तारित कर दिया गया था। केंद्रीय ट्रेड प्रोसेसिंग का एक स्वचालित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के अलावा सीसीआईएल इंटरेस्ट रेट रीसेट, हॉलिडे हैंडलिंग, सदस्यों के बकाया अनुबंधों पर भुगतान की देनदारी को ट्रैक करने जैसी पोस्ट-ट्रेड प्रोसेसिंग सेवाएं भी प्रदान करती है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स मार्केट के मामले में यह ट्रेड रिपोजिटरी रुपी आईआरएस/एफआरए के हर लेन-देन को कैप्चर करती है। फॉरेक्स ओटीसी डेरिवेटिव्स मार्केट में इंटर-बैंक और क्लाइंट दोनों के सभी लेन-देन की ट्रेड रिपोर्टिंग कई चरणों में लागू की गई थी।

रुपी डेरिवेटिव मार्केट में लेन-देन का सेटलमेंट आरंभिक तौर पर वर्ष 2008 के दौरान गैर-गारंटीशुदा आधार पर शुरू हुआ था। सीसीआईएल 2014 के बाद से धीरे-धीरे एमआईबीओआर और एमआईएफओआर बेंचमार्क्स के संदर्भ में रुपी डेरिवेटिव लेन-देन के सीसीपी सेटलमेंट करने लगी। सीसीआईएल ने इस मार्केट को अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली में अपनी अनूठी स्थिति का लाभ उठाया है। यह इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स फॉरवर्ड्स जैसे ओटीसी डेरिवेटिव्स के लिए पोर्टफोलियो संक्षिप्तीकरण वाली सेवाएं प्रदान करती है। इन द्वि-वार्षिक संक्षिप्तीकरण कवायदों के परिणामस्वरूप संबंधित ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट की अनुमानित ऑउटस्टैंडिंग्स में उल्लेखनीय कमी आई है।

4. मनी मार्केट

सीसीआईएल का एफ-ट्रैक प्लेटफॉर्म सभी प्राइमरी और सेकंडरी कॉमर्शियल पेपर (सीपी) तथा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) लेन-देन को कैप्चर करने वाली ट्रेड रिपोजिटरी है। यह एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स/सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट/कॉमर्शियल पेपर्स/एनसीडीज के हर मार्केट रेपो लेन-देन को भी कैप्चर करती है। सीसीआईएल कॉल, नोटिस और टर्म मनी में लेन-देन के लिए कोट सिस्टम, एनडीएस-कॉल के इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध का प्रबंधन भी करती है। इस प्लेटफॉर्म पर हर ओटीसी कॉल मनी लेन-देन की सूचना भी देनी होती है।

सीसीआईएल में जोखिम प्रबंधन

सीसीआईएल सरकारी प्रतिभूतियों, फॉरेक्स और डेरिवेटिव मार्केट में एक मजबूत, आजमाई हुई स्वतंत्र रूप से जांची गई जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की बुनियाद पर सीसीपी सेवाएं प्रदान करती है। सेटलमेंट संचालन से उत्पन्न होने वाले जोखिम को इसकी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के माध्यम से इस तरह प्रबंधित किया जाता है कि इसके विफल होने पर सदस्यों का अंतिम जोखिम या तो समाप्त हो जाता है या न्यूनतम रह जाता है। सीसीआईएल की सभी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को किसी भी सीसीपी के लिए सीपीएमआई-आईओएससीओ द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बेंचमार्क किया गया है।

सीसीआईएल यह सुनिश्चित करके किसी सदस्य की ऑउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग गतिविधि के लिए अपने एक्सपोजर को कवर करती है कि व्यक्तिगत सदस्य अपना मार्जिन योगदान सीसीआईएल के सेटलमेंट गारंटी फंड (एसजीएफ) में कैश या सेक्योरिटीज के रूप में जमा करें। इसके अलावा सीसीआईएल मार्केट में पैदा हुई असामान्य वोलैटिलिटी की सूरत में वोलैटिलिटी मार्जिन तथा उस सदस्य द्वारा किए गए अनुमानित नुकसान को कवर करने के लिए मार्क टू मार्केट मार्जिन जमा करती है। इसके साथ-साथ नॉन-डिफॉल्ट नुकसान को हैंडल करने के लिए कंटिंन्जेंसी रिज़र्व फंड तथा प्रतिभागी (यों) के डिफॉल्ट करने से हुए नुकसान को हैंडल करने के लिए एक मेम्बर कंट्रीब्यूटेड डिफॉल्ट फंड व सेटलमेंट रिज़र्व फंड मौजूद है। सीसीआईएल ने इंटीग्रेटेड रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम (आईआरआईएस) के माध्यम से सदस्यों को सेटलमेंट संबंधी जानकारी पहुंचाने का तंत्र पहले

से ज्यादा मजबूत किया है, जो एक वेब-आधारित रियल-टाइम सूचना प्रणाली है। यह सिस्टम सदस्यों को सीसीआईएल द्वारा सेटल किए गए सभी सेगमेंट में उनकी कोलैटरल, मार्जिन, ट्रेडिंग और सेटलमेंट संबंधी जानकारी को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।

लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लिमिटेड

सीसीआईएल के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लिमिटेड (एलईआईएल) भारत में वैश्विक रूप से संगत लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (एलईआई) जारी करने वाली भारत की लोकल ऑपरेटिंग यूनिट (एलओयू) है। "एलईआईएल को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 (2015 में हुए संशोधन के अनुसार) के तहत लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर्स के "इश्यूअर" के रूप में मान्यता दी गई है।" एलईआई जारी करने और इनके प्रबंधन हेतु एलईआईएल को ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ) द्वारा लोकल ऑपरेटिंग यूनिट (एलओयू) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (एलईआई) एक वैश्विक संदर्भ संख्या है, जो किसी भी ज्यूरिडिक्शन में होने वाले किसी वित्तीय लेन-देन की पक्षकार प्रत्येक लीगल एंटिटी या संरचना की विशिष्ट रूप से पहचान करती है। एलईआईएल वित्तीय लेन-देन के पक्षकार बने सभी इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशन, बैंक, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप कंपनियों, ट्रस्ट, होल्डिंग्स, स्पेशल पर्पज वेहीकल, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों और अन्य सभी संस्थानों, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, को एलईआईज असाइन करेगी। लीगल एंटिटी से आवेदन मिलने और डेटा के उचित सत्यापन के बाद उसे एलईआई असाइन की जाएगी। एलईआई रखने वाले किसी भी संगठन के लिए कुछ लाभ ये हैं कि यह उसके वित्तीय इकाई होने का प्रमाण बनती है। यह विभिन्न रेग्युलेटरी आवश्यकताओं का पालन करने में भी मदद करती है और ट्रेड रिपोजिटरी को लेन-देन की रिपोर्टिंग की सुभीता देती है।

संक्षेप में

अपनी शुरुआत में सीसीआईएल एक पथ-प्रदर्शक संस्था थी, जिसे फिक्स्ड इनकम मार्केट में सीसीपी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। इन दो दशकों की अपनी यात्रा में सीसीआईएल ने निर्धारित दायरे से परे जाने की लगातार कोशिश की है तथा फॉरेक्स और डेरिवेटिव मार्केट्स में अपनी सीसीपी गतिविधि का विस्तार किया है। पारदर्शिता को और ज्यादा बढ़ाने तथा मार्केट एक्सेस को व्यापक बनाने के लिए सीसीआईएल ने ट्रेडिंग-अनुकूल सुविधाओं के दम पर विभिन्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, जिससे रेग्युलेटर के लिए मार्केट को अधिक निवेशक श्रेणियों (खुदरा सहित) तक विस्तारित करने, नए उत्पाद लॉन्च करने और मार्केट में सभी प्रतिभागियों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। सीसीआईएल अपने टिकाऊ सिस्टम और नवाचार के माध्यम से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कार्यदक्षता और पारदर्शिता की एक मशाल वाहक बन गई है।

***

*[**अस्वीकरण:** लेख में व्यक्त विचार पूरी तरह से लेखकों के हैं और वे उस संगठन को नहीं दर्शाते हैं जिससे वे सम्बंधित हैं।]*

पैसे की विकास यात्रा

-अमरवीर सरन दास
उप महाप्रबंधक, विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

मैं पैसे की उत्पत्ति से बात शुरू करता हूँ।

यह सब कैसे शुरू हुआ? यह कहाँ से आया था?

हम वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि लगभग 5,000 साल पहले लिखने का तरीका जानने से पहले ही किसी न किसी रूप में पैसे का आविष्कार हो चुका था! हालांकि, इतिहासकारों का मानना है कि यह संभावना है कि वस्तु-विनिमय (Barter System) की व्यवस्था थी। तो एक किसान, बढ़ई से दरांती के बदले गेहूँ का व्यापार कर सकता है। हालांकि यह सरल लगता है, समस्या यह है कि इसके लिए 'इच्छाओं के दोहरे संयोग' की आवश्यकता होती है। विनिमय के काम करने योग्य होने के लिए, जो व्यक्ति दरांती के बदले गेहूँ खरीदना चाहता है, उसे ऐसे व्यक्ति को ढूँढ़ने में सक्षम होना चाहिए जिसके पास दरांती है और वह इसे गेहूँ के बदले, बदलने के लिए तैयार है।

एक और मुद्दा यह है कि विनिमय किया जा रहा सामान विभाज्य नहीं हो सकता है। आप आधी गाय या आधा घोड़ा कैसे बेच सकते हैं? यह समस्या इतनी दुर्गम लगती है कि कुछ मानवविज्ञानी मानते हैं कि यह संभावना ही नहीं थी कि वस्तु विनिमय से धन उत्पन्न हुआ होगा!

भूल जाइए कि मानवविज्ञानी क्या कहते हैं! वस्तु विनिमय से धन के विकास को समझना आसान है।

जैसा कि समझाया गया है, वस्तु विनिमय 'इच्छाओं के दोहरे संयोग' की इस समस्या को पैदा करता है। एक सरल उपाय यह था कि कुछ ऐसा खोजा जाए जो हर किसी को मूल्यवान लगे और वह स्वीकार करने को तैयार हो। इस प्रकार, वस्तुओं (कमोडिटी) का धन के रूप में उपयोग होने लगा।

कमोडिटी आधारित पैसा शायद सबसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाने वाला पैसा रहा है। इसका मूल्य अंतर्निहित वस्तु से ही प्राप्त होता है। समय के साथ कौड़ी से लेकर सिगरेट तक विभिन्न वस्तुएं 'कमोडिटी मनी' का एक रूप बन गई हैं। प्रारंभ में, मेसोपोटामिया में गेहूं और जौ जैसे कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता था। इज़राइली मुद्रा 'शेकेल' का नाम सुमेर में इस्तेमाल होने वाले जौ के वजन की एक इकाई से लिया गया है। कृषि जिंसों के साथ समस्या यह है कि वे खराब होने वाले हैं यानी शीघ्र नष्ट हो जाने वाले, कृन्तकों से पीड़ित और ढुलाई के लिए कठिन हैं। जब अकाल हो और किसी के पास गेहूं न हो तो आप क्या करते हैं! इसलिए हमें कुछ अधिक टिकाऊ और छोटा चाहिए था।

इसलिए सिक्कों और कीमती धातुओं का इस्तेमाल होने लगा। प्रारंभ में, हमने कुछ बुलियन के साथ शुरुआत की। हालाँकि, जैसे-जैसे कांस्य युग आगे बढ़ा और हम धातु विज्ञान के साथ बेहतर होते गए, हमने मानकीकृत रूप विकसित किए। चीनियों ने

1045 से 256 ईसा पूर्व के बीच संप्रदायों को अलग करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों जैसे हुकुम और चाकू के आकार में अपना पैसा बनाया। हालाँकि, पहले सिक्कों का श्रेय सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिडा के राज्य को दिया जाता है। पहले सिक्के, 'इलेक्ट्रम' के रूप में सोने और चांदी के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मिश्र धातु से बने थे जो उन्हें पैक्टोलस नदी से प्राप्त हुए थे। हम सभी ने मिडास की कहानी और उसके सुनहरे स्पर्श के बारे में सुना है। कहानी के अंत में जब मिडास ने अपनी बेटी को सोने में बदल दिया, तो उसने देवताओं से अपने उपहार को वापस करने की प्रार्थना की। डायोनिसस ने उसकी प्रार्थना सुनी और उससे कहा कि वह खुद को पैक्टोलस नदी में धो ले, जिसकी रेत सोने में बदल गई!

लेकिन इतने सालों में सोना इतना महत्वपूर्ण और प्रासंगिक क्यों होना चाहिए? वास्तव में, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि लिडियन सोने का सिक्का चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, एक पाव रोटी से कहीं अधिक मूल्यवान होता। आप वास्तव में इसे विनिमय के दैनिक माध्यम के रूप में उपयोग नहीं कर सकते थे। पैसे के रूप में स्पष्ट रूप से कहीं अधिक बेकार इस्तेमाल किया गया कुछ था।

यह समुद्री घोंघे से प्राप्त कौड़ी थी जिसे 'मोनेटेरिया मोनेटा' कहा जाता था। कौड़ी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन उनका उपयोग केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। उनका उपयोग ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, चीन और अफ्रीका में भी किया गया था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1817 में कौड़ियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया तो यह ओडिशा में पाइका विद्रोह का कारण बना!

हम सोने और कौड़ियों के इस्तेमाल से कागज की ओर कैसे बढ़े? कागजी मुद्रा का विचार 11वीं शताब्दी में चीन में सोंग राजवंश के शासनकाल के दौरान सामने आया। नोटों के इस्तेमाल से पहले, कुछ चीनी व्यापारियों ने सिक्कों को बहुत भारी पाया। इसलिए उन्होंने रसीद के बदले किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास जमा कर दिया। इसने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया। सोंग राजवंश के शासकों ने महसूस किया कि उनके पास सिक्के बनाने के लिए तांबे की कमी हो रही है और वे जमा तांबे की कागजी रसीदों की इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने पहली फिएट मुद्रा 'जियाओज़ी' जारी की, जो शासक द्वारा जारी किए गए वचन-पत्र थे। इन्हें बाद में किसी वस्तु के लिए भुनाया जा सकता है।

मार्को पोलो ने कुबलई खान की कहानी और कागजी मुद्रा को 14वीं शताब्दी में मध्यकालीन यूरोप में वापस ले लिया। इस अवधारणा का नेतृत्व जेनोइस व्यापारियों द्वारा किया गया था और बाद में लंदन के लोहारों द्वारा विकसित किया गया था।

चीनी कागजी मुद्रा ने चेतावनी दी कि जालसाजों का सिर कलम कर दिया जाएगा। हम आज अधिक मानवीय सुरक्षा उपायों की ओर बढ़ गए हैं। जालसाजी को रोकने के लिए भारतीय बैंक नोटों में जटिल पैटर्न के साथ गांधीजी का चित्र, एक सुरक्षा धागा, वॉटरमार्क, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनशील स्याही, माइक्रो-लेटरिंग आदि हैं।

हमारे बैंक नोट कपास के बने होते हैं। तो आप उन्हें धीरे से धो सकते हैं। चीनियों ने हमें कागज के नोट दिए। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में पॉलिमर नोट लाए और अब कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और मैक्सिको सहित कई देश पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिमर नोट प्रिंट करने के

लिहाज से कहीं अधिक महंगे होते हैं। हालांकि, वे अधिक सुरक्षा उपायों की सहूलियत देते हैं और पेपरनोट्स की तुलना में दो से पाँच गुना अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि वे कागज के मुक़ाबले ज्यादा टिकाऊ होते हैं।

तो पैसा क्या है?

आप स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मान लीजिए, किसी ने आपसे पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं? क्या यह केवल आपके बटुए में नकद है? आपके बैंक खाते में पैसे के बारे में क्या? सीमित अर्थ में, यह आपके बटुए में पैसा है। लेकिन व्यापक अर्थ में, आपका बैंक खाता भी शामिल होना चाहिए। यह संकीर्ण धन (नैरो मनी) और व्यापक धन (ब्रॉड मनी) की अवधारणा की तरह है, जिसके बारे में आप अर्थशास्त्रियों को बात करते हुए सुन सकते हैं।

पैसा एक ऐसी चीज है जो तीन काम करता है। यह विनिमय का माध्यम है। पैसों की वजह से, मुझे दरांती के बदले गेहूँ बदलने की ज़रूरत नहीं है। यह खाते की एक इकाई के रूप में कार्य करता है, अर्थात आप भिन्न चीजों को उनके मौद्रिक मूल्य में जोड़ सकते हैं। तीसरा, यह मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है कि आज आप जो पैसा कमाते हैं, वह कल इस्तेमाल किया जा सकता है।

कागज और पॉलीमर के बाद, अब हम एक नई क्रांति की शुरुआत में हैं, जिसमें कई केंद्रीय बैंक 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (सीबीडीसी) पर विचार कर रहे हैं। कुछ देशों जैसे बहामास (रेत डॉलर) और नाइजीरिया (ई नायरा) ने सीबीडीसी जारी कर दिए हैं।

सीबीडीसी, मुद्रा जारी करने की लागत को कम कर सकती है और संभावित रूप से वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक भी सक्रिय रूप से सीबीडीसी पर विचार कर रहा है और निकट भविष्य में हम भारत में भी सीबीडीसी में लेन-देन कर कर सकेंगे।

***

स्थायी स्तंभ

रेग्युलेटर की नज़र से

- ब्रिज राज
महाप्रबंधक, विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 'पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड' को शामिल करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 07 अक्तूबर, 2021 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सूचित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को, 06 सितंबर, 2021 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस926/16.03.006/2021-22 द्वारा शामिल किया गया है। यह अधिसूचना 02-08 अक्तूबर 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित है।

स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) : एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 को सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उपरोक्त विषय पर निर्देश जारी किया। निर्देश के अनुसार, वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और बैंकों के साथ ऋण मध्यस्थता के पूरक चैनल के रूप में भूमिका निभाने के लिए एनबीएफसी का योगदान बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त है। इन वर्षों में, इस क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र के भीतर आकार, जटिलता और परस्पर जुड़ाव के मामले में काफी विकास हुआ है। कई संस्थाएं प्रगति की हैं एवं वे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो गई हैं और इसलिए उनके बदलते जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी के लिए नियामक ढांचे को संरेखित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। 04 दिसंबर, 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, 22 जनवरी, 2021 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा-स्केल आधारित दृष्टिकोण नामक एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। इस संबंध में प्राप्त प्रतिपुष्टियों के आधार पर अब एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

चूंकि एसबीआर ढांचे में पूँजीगत आवश्यकताओं, अभिशासन मानकों, विवेकपूर्ण विनियमन आदि को शामिल करते हुए एनबीएफसी के नियमन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, इसलिए एसबीआर संरचना को समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हुए, नए विनियमनों और संबंधित समय-सीमा के एक समूह को शामिल करते हुए, एसबीआर के अंतर्गत एनबीएफसी के लिए एक एकीकृत नियामकीय ढांचा जारी करने का निर्णय लिया गया है। ये दिशा-निर्देश 01 अक्तूबर, 2022 से प्रभावी होंगे।

रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 पर अधिसूचना जारी किया। अधिसूचना के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में और वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली को विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए सरल और अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु, तीन लोकपाल योजनाओं- (i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 और (iii) डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (योजना) में एकीकृत कर दिया है।

योजना के दायरे में निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं को शामिल किया गया है- (i) सभी वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिनकी जमा राशि पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख को 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक हैं, (ii) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) जो (क) जमा स्वीकारने हेतु प्राधिकृत हैं; या (ख) जिनके ग्राहक इंटरफ़ेस हैं और जिनकी आस्तियाँ पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख को 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक हैं। (iii) योजना के तहत परिभाषित सभी प्रणाली प्रतिभागी। यह योजना 12 नवम्बर, 2021 से लागू हो गई हैं।

आरबीआई रीटेल डायरेक्ट योजना

रिज़र्व बैंक ने 12 नवम्बर, 2021 को आरबीआई रीटेल डायरेक्ट योजना को सक्रिय करने की घोषणा की। सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक-रिटेल डायरेक्ट (आरबीआई-आरडी) योजना, निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर जी-सेक को आम आदमी की आसान पहुंच में लाएगी। इस योजना के तहत, खुदरा एकल निवेशक एक ऑनलाइन पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) का उपयोग करके भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट (आरडीजी) खाता खोल पाएगा।

निम्नलिखित मार्गों का उपयोग करके निवेश किया जा सकता है- (i) सरकारी प्रतिभूतियों का प्राथमिक निर्गमन: निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी में भाग लेने के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी योजना और एसजीबी जारी करने हेतु प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश के अनुसार बोली लगा सकते हैं। (ii) द्वितीयक बाज़ार: निवेशक एनडीएस-ओएम ('ऑड लॉट' और 'रिक्वेस्ट फॉर कोट्स' सेगमेंट) पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं। इंटरनेट-बैंकिंग या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से बचत बैंक खाते का उपयोग करके लेन-देन के लिए भुगतान आसानी से किया जा सकता है।

निवेशक पोर्टल पर ही और एक टोल-फ्री टेलीफोन नंबर 1800–267-7955 (सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे) और ईमेल के माध्यम से भी सहायता और अन्य सहायता सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। निवेशक सेवाओं में लेन-देन और शेष विवरण, नामांकन सुविधा, प्रतिभूतियों की गिरवी या ग्रहणाधिकार और उपहार लेन-देन के प्रावधान शामिल हैं। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य निवेशकों को एक सुरक्षित, सरल, प्रत्यक्ष और रक्षित मंच प्रदान करना है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 दिसंबर, 2021 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को उपरोक्त विषय पर निर्देश जारी किया। निर्देश के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2002 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा (पीसीए) लागू किया था। इसके संबंध में प्राप्त अनुभव और बैंकिंग प्रणाली में हुए विकास के आधार पर समय-समय पर इसकी समीक्षा की गई है। पीसीए ढांचे का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाना है। इसके तहत पर्यवेक्षित इकाई से यह अपेक्षित है कि वह उपचारात्मक उपायों को समयबद्ध ढंग से शुरू और लागू करे ताकि उसकी वित्तीय स्थिति ठीक की जा सके। पीसीए ढांचा प्रभावी बाजार अनुशासन बनाए रखने का एक साधन भी है। पीसीए ढांचा, भारतीय रिज़र्व बैंक को ढांचे में निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाइयों के अलावा किसी भी समय कोई अन्य कार्रवाई करने से नहीं रोकता है। एनबीएफसी आकार में बढ़ रहे हैं और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ इसके पर्याप्त अंतर्संबंध हैं। तदनुसार, अब यह निर्णय लिया गया है कि एनबीएफसी पर लागू होने वाले पर्यवेक्षी उपकरणों को और मजबूत करने के लिए एनबीएफसी के लिए एक पीसीए ढांचा तैयार किया जाए। एनबीएफसी के लिए पीसीए ढांचा, जैसा कि संलग्न अनुबंध में निहित है, 31 मार्च, 2022 को या उसके बाद एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति के आधार पर 01 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगा।

मौजूदा विनियमों के अनुसार, सरकारी एनबीएफसी को एनबीएफसी के लिए जारी पूँजी पर्याप्तता मानदंडों का पालन करने के लिए 31 मार्च, 2022 तक का समय दिया गया है (संदर्भ. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का अनुबंध-I)। तदनुसार, सरकारी एनबीएफसी के लिए पीसीए ढांचे की प्रयोजनीयता के संबंध में एक अलग परिपत्र जारी किया जाएगा। पीसीए ढांचे की समीक्षा तीन साल के परिचालन के बाद की जाएगी।

सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था- अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 दिसंबर, 2021 को सभी अनुसूचित भुगतान बैंकों और अनुसूचित लघु वित्त बैंकों को उपरोक्त विषय पर निर्देश जारी किया। निर्देश के अनुसार, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से परामर्श कर अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित भुगतान बैंकों और अनुसूचित लघु वित्त बैंकों को सरकारी एजेंसी का कारोबार/व्यवसाय करने के लिए पात्र बनाया जाए। कोई भी भुगतान बैंक या लघु वित्त बैंक जो सरकारी एजेंसी का कारोबार/व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ करार निष्पादित करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते इन बैंकों के लिए निर्धारित प्रमुख/महत्वपूर्ण विनियामक ढांचे का अनुपालन किया गया है।

ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों की सुविधा प्रदान करने के लिए ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 03 जनवरी, 2022 को सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक और सहभागी (बैंक और गैर-बैंक) को उपरोक्त विषय पर निर्देश जारी किया। निर्देश के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 अगस्त, 2020 के परिपत्र के माध्यम से

तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल लेन-देनों की एक प्रायोगिक योजना की अनुमति दी थी। उसमें कहा गया था कि ऐसी प्रणाली को औपचारिक रूप देने का निर्णय, प्राप्त हुए अनुभव पर आधारित होगा। सितंबर 2020 से जुलाई 2021 की अवधि के दौरान कुछ संस्थाओं द्वारा प्रायोगिक परीक्षण किया गया। प्रयोगों से मिली उत्साहवर्धक प्रतिपुष्टि के मद्देनजर, विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर दिनांक 08 अक्तूबर, 2021 के वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि पूरे देश में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों को ऑफलाइन मोड में करने के लिए एक ढांचे की संरचना की जाएगी। तदनुसार, कार्ड, वॉलेट, मोबाइल उपकरणों आदि का उपयोग करके ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों को सक्षम बनाने संबंधी ढांचे का विस्तृत विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) और भुगतान प्रणाली सहभागी (पीएसपी)-अधिग्राहक और जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक)- समस्त लागू अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया था एवं तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 'एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड' को शामिल करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 जनवरी, 2022 को सभी बैंकों को सूचित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 'एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड' को 02 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना विवि. एलआईसी. सं. एस2659 / 16.13.215 / 2021-22 द्वारा शामिल किया गया है, जो 01-07 जनवरी 2022 के भारत सरकार के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित है।

***

घूमता आईना

राष्ट्रीय खंड

- डॉ. करुणेश तिवारी
सहायक महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

आज़ादी का डिजिटल महोत्सव

भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 29 नवंबर से 05 दिसंबर, 2021 तक 'आजादी का डिजिटल महोत्सव' मनाया। इस दौरान भारत की डिजिटल स्पेस में अर्जित उपलब्धियों को दिखाने वाले आयोजन किये गए। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में डिज़िटल नवाचारों पर आधारित सत्र आयोजित किए गए। इसी के तहत डिजिटल पेमेंट्स उत्सव भी मनाया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ-साथ वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारतीय रिज़र्व एनपीसीआई, फोनपे, पेटीएम और भारतीय स्टेट बैंक सहित अनेक वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। समापन समारोह में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैंकरों और फिनटेक कंपनियों को पुरस्कार भी दिये गए।

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति

देश के नागरिकों और कारोबारियों को अत्याधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति तैयार की गयी है। भारत को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम बनाने के लिए एक साझा ब्लॉकचेन अवसंरचना के माध्यम से विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तैयार करने के लक्ष्य को सामने रख कर यह रणनीति बनायी गयी है। इसके तहत अनुसंधान और विकास को, नवाचारों को एवं प्रौद्योगिकी तथा एप्लीकेशनों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का कार्य इस राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति के तहत किया जा रहा है। पारस्परिक सहयोग पर आधारित एक ऐसी सतर्क और विश्वसनीय डिजिटल व्यवस्था का विकास किया जाएगा जिसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव न हो, जो पारदर्शी हो, और जो हमें एक ऐसा खुला फ्रेमवर्क उपलब्ध करा सके जिसका उपयोग करते हुए नागरिकों और कारोबारियों को ई-गवर्नेंस की सुविधा दी जा सके। इस पर एकाधिक संगठन आपसी विश्वास, सुरक्षा, निगरानी, निष्ठा और विनियामकीय अनुपालन करते हुए भाग ले सकेंगे।

आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकाथॉन – हारबिंजर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया

रिज़र्व बैंक अपने पहले वैश्विक हैकाथॉन - हारबिंजर (HARBINGER) 2021 - का आयोजन कर रहा है। 'परिवर्तन के लिए नवाचार' की शृंखला में किए जा रहे इस आयोजन की थीम है- **'स्मार्टर डिजिटल भुगतान'**। हैकाथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने की चुनौती देता है जिनसे छोटी-छोटी वित्तीय सेवाएँ प्राप्त करने वालों के लिए डिजिटल भुगतान को सुलभ बनाया जा सके, उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके और डिजिटल भुगतानों को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। हारबिंजर (HARBINGER) 2021 का हिस्सा बनने वाले प्रतिभागियों को यह मौका मिलेगा कि वे उद्योग जगत के विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे और प्रतिष्ठित जूरी के समक्ष अपने अभिनव डिजिटल समाधानों को प्रदर्शित कर सकेंगे। साथ ही, इस हैकाथॉन की अलग-अलग श्रेणियों में आकर्षक पुरस्कार (विजेता: ₹40 लाख, उप विजेता: ₹20 लाख) जीतने का अवसर भी उन्हें मिलेगा। हैकाथॉन के लिए पंजीकरण 15 नवंबर, 2021 से शुरू किया गया था और प्रतिभागियों को 31 मार्च, 2022 तक की अवधि तक अपने समाधान प्रस्तुत करने का समय दिया गया।

डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बढ़ते कदम- यूपीआई और डिजी साथी

अब फीचर फोन से भी हो सकेंगे डिज़िटल भुगतान- रिज़र्व बैंक फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) समाधान- UPI123Pay लेकर आया है जिससे देश की गरीब और दूर-दराज क्षेत्रों में बसने वाली जनता भी यूपीआई आधारित भुगतान का विकल्प पा सकेगी। ऐसे उपभोक्ता जो स्मार्ट फोन नहीं खरीद सकते, वे अपने फीचर फोन से ही पलक झपकते भुगतान कर सकेंगे। यह देखते हुए कि देश में 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन मोबाइल ग्राहक हैं, UPI123pay ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई का उपयोग करने का सुलभ विकल्प पेश करेगा। इसके अंतर्गत, फीचर फोन पर एक **ऐप** इंस्टॉल किया जाएगा जिसके माध्यम से स्मार्टफोन पर उपलब्ध कई यूपीआई फ़ंक्शन, फीचर फोन पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। **मिस्ड कॉल** के ज़रिए भी फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खाते को एक्सेस करने और मर्चेंट आउटलेट पर प्रदर्शित नंबर पर मिस्ड कॉल देकर नियमित लेन-देन जैसे- धन प्राप्त करना, धन अंतरित करना, नियमित खरीददारी, बिल भुगतान आदि की सुविधा होगी। ग्राहक को यूपीआई पिन डालकर लेन-देन को प्रमाणित करने के लिए एक इनकमिंग कॉल रिसीव होगी। ग्राहकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने फीचर फोन से एक पूर्व निर्धारित नंबर पर सुरक्षित कॉल करके यूपीआई ऑन-बोर्डिंग औपचारिकताओं को पूरा करें। इस **इंटर-एक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) के ज़रिए वे** इंटरनेट कनेक्शन के बिना वित्तीय लेन-देन कर सकेंगे।

अब डिजी साथी (DigiSaathi) आपकी सहायता के लिए 24 घंटे रहेगा तैयार- डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए इस 24x7 हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है। 'DigiSaathi' डिजिटल भुगतान के सभी पहलुओं पर सहायता प्राप्त करने के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराता है। इस पर डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए स्वचालित प्रतिक्रियाएं हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसके लिए कई विकल्प हैं। जैसे-

(क) टोल-फ्री नंबर (1800-891-3333), (ख) एक लघु कोड (14431) (ग) वेबसाइट www.digisaathi.info और (घ) चैटबॉट्स। भविष्य में इसे अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने की योजना है।

इन दोनों पहलों का शुभारंभ आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री दास ने कहा कि देश में डिजिटल नवाचारों की विविधता, उपयोगिता और परिवर्तनकारी शक्ति को बढ़ाने की दिशा में ये दोनों पहलें अतिमहत्वपूर्ण हैं। ये पहलें डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करते हुए और वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने में सहायक होंगी।

भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग से होगी समुचित निगरानी

आरबीआई का ध्यान देश में एक सशक्त एवं सुरक्षित डिजिटल भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर केंद्रित है ताकि डिजिटल भुगतान की पहुंच देश के सुदूर क्षेत्रों तक बढ़ाते हुए सभी नागरिकों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग से **भुगतान स्वीकृति अवसंरचना** से जुड़ी तकनीकों- प्वाइंट्स ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल, क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड आदि- की उपलब्धता की उचित निगरानी की जा सकेगी। देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक भुगतान अवसंरचना का वांछित वितरण सुनिश्चित करने में भी जियो टैगिंग से मदद मिलेगी।

रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा

15 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 1,300 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत, भारत में 2,000 रुपये तक के कम मूल्य के BHIM-UPI लेन-देन को बढ़ावा दिया जाएगा।

मूडीज़ ने बढ़ाई भारत की रेटिंग

मूडी की प्रतिष्ठित इंवेस्टर सर्विस ने फरवरी 2022 में चालू कैलेण्डर वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को 9.5% आँका है। वर्ष 2020 में कोविड के चलते देशव्यापी लॉकडाउन और उसके बाद कोविड की दूसरी मारक लहर में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार को देखते हुए यह एक सुखद खबर है। विगत नवंबर 2021 में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की जीडीपी में 7.9% की वृद्धि का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था।

आरबीआई डिज़िटल भुगतान सूचकांक में लगभग 40 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

आरबीआई डिज़िटल भुगतान सूचकांक सितंबर, 2020 के 217.74 के मुकाबले सितंबर, 2021 में 304.06 पर पहुँच गया। सरकार और आरबीआई सहित पूरे बैंकिंग जगत द्वारा किए जा प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों के बल पर डिज़िटल वित्तीय लेन-देन में लगभग 40 प्रतिशत का आया यह उछाल उत्साहजनक है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी, 2020 में डिज़िटल भुगतान सूचकांक जारी किया था जिसके लिए आधार वर्ष 2018 निर्धारित किया गया था। पूरे देश में डिज़िटल भुगतान के क्षेत्र में हो रही प्रगति का आकलन करना इसका उद्देश्य था।

क्रिप्टो: करेंसी नहीं, केवल आस्ति

पूरे विश्व में अर्थजगत में क्रिप्टो से जुड़ी खबरों का बोलबाला रहा। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो

लेन-देन को आधिकारिक मान्यता भी दी है। हालांकि, इस बीच भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रिप्टो आस्तियों को करेंसी के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर गंभीर चिंता जतायी है और निवेशकों को इन डिजिटल मुद्राओं के संभावित नुकसान के बारे में आगाह किया है। साथ ही, देश के केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टो लेन-देन को समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए एक खतरा माना है। भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि क्रिप्टो 'करेंसी' नहीं सिर्फ़ आस्ति है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ट्रेडिंग एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जा रही सभी क्रिप्टो सेवाओं को वित्तीय सेवाएँ माना जाएगा। यूनियन बजट में यह भी कहा गया है कि क्रिप्टो लेन-देन पर कर देय होगा। लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी की ही तरह क्रिप्टो से हुई आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्टॉक बाजार में किए गए निवेश पर 0 से 15% तक का कर देय होता है जिसे कारोबारी आय या दीर्घावधि/अल्पावधि पूँजीगत आय के आधार पर वर्गीकृत करते हुए यह कर निर्धारित किया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने RBI की दो योजनाओं का शुभारंभ किया

12 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन दो योजनाओं का श्रीगणेश किया गया:

RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना: योजना का उद्देश्य है सरकारी प्रतिभूति बाजार (जी-सेक) तक खुदरा ग्राहकों की पहुँच बढ़ाना। इस योजना के आ जाने से सरकारी बॉण्ड बाजार – प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों- अब खुदरा निवेशकों के लिए खुल गया है। ये निवेशक भारतीय रिज़र्व बैंक में एक गिल्ट सिक्योरिटीज़ अकाउंट खोलते हुए एनडीएस-ओएम के माध्यम से जी-सेक में निवेश कर सकते हैं। इस खाते का नाम होगा- **'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाता'**। रिज़र्व बैंक इस योजना को एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार के रूप में देख रहा है।

रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021: इस योजना के आने से भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं- सभी वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, हाउसिंग फाइनांस कंपनियों सहित सभी एनबीएफसी (डी), डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल सभी इकाइयों – के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों का समाधान एक ही प्लैटफॉर्म पर देना संभव हो सकेगा। इस योजना को लागू करने के साथ ही, बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 तथा डिज़िटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को वापस ले लिया गया है। पहले की ही भांति इस योजना में भी ग्राहकों को समाधान नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि संबंधित संस्था ग्राहक की समस्या का पूर्णतया समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं करती, तब ग्राहक अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में दर्ज करा सकता है। इसके लिए उसके पास तीन विकल्प उपलब्ध होंगे- **1)** https://cms.rbi.org.in पर जाकर सीएमएस पैकेज पर ऑनलाइन; **2)** भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर-17, चण्डीगढ़ -160017 की चौथी मंजिल पर बनाये गए सेंट्रल रिसीट एण्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CRPC) में जाकर या डाक से; तथा **3)** प्रात: 09:30 से सायं 05:15 तक टॉल फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

***

घूमता आईना
अंतरराष्ट्रीय खंड

- डॉ. गौतम प्रकाश
उप महाप्रबंधक, प्रवर्तन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

विश्व निपटान बैंक (BIS) ने एशिया पर केंद्रित हरित बॉन्ड जारी किया

आम तौर पर केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के निवेश में तीन बातों का ध्यान रखते हैं– मूलधन की सुरक्षा, उसकी तरलता एवं उस पर होने वाली आमदनी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से संपोषणीय निवेश की तरफ भी वे आकर्षित हो रहे हैं। संपोषणीय वित्त से अभिप्राय है- ऐसे निवेश जिनसे पर्यावरण की बेहतरी के लिए बनाई गयी परियोजनाओं को निर्मित किया जा सके या उन्हें चलाया जा सके। इस दिशा में विश्व निपटान बैंक (BIS) ने पहल की है। कुछ समय पूर्व, उसने दो 'हरित बॉन्ड' जारी किए थे– एक, जिसमें केंद्रीय बैंक अमरीकी डॉलर में निवेश कर सकते थे और दूसरा, जिसमें वे यूरो में निवेश कर सकते थे। अब, उसने एशिया पर केंद्रित 'हरित बॉन्ड' जारी किया है। इसमें दुनिया भर के केंद्रीय बैंक निवेश कर सकते हैं– उन्हें यह अमरीकी डॉलर में करना होगा।

बॉन्ड के विक्रय से इकट्ठी की गयी राशि को विश्व निपटान बैंक एशिया में लगाएगा– निवेश ऐसी परियोजनाओं में किया जाएगा जो पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने या रोकने में समर्थक होंगी, और ये सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित होंगी। एशिया-केंद्रित बॉन्ड जारी करने के पीछे कारण यह है कि इस महाद्वीप में मौजूद केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार काफी विशाल हैं और साथ ही, इनमें पर्यावरण के बारे में ख़ासी जागरूकता भी है। विश्व निपटान बैंक के अनुभव के अनुसार एशिया के केंद्रीय बैंक यूरोप के केंद्रीय बैंकों के जितना ही पर्यावरण मामलों के बारे में विचारशील हैं। इसके अलावा, भरोसा करने लायक 'हरित बॉन्ड' की आपूर्ति दुनिया में अभी कम ही है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के परिपेक्ष में वहाँ के केंद्रीय बैंकों की बदलती भूमिका

रूस और यूक्रेन में सैनिक भिड़ंत और उससे जन्मी वैश्विक प्रतिक्रिया के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था में आपातकाल की स्थिति आ गयी है। रूस में वहाँ के केंद्रीय बैंक ने यह पाया कि देश के शेयर बाज़ार एवं विदेशी मुद्रा बाज़ार पर ज़बरदस्त असर पड़ा है। निवेशक यह देख कर चिंतित हो रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक बन्दिशें शायद उसके ऊर्जा निर्यात में भारी कमी ले आएगी। शेयर बाज़ार में तो 34% की गिरावट एक ही दिन में देखी गई। वहीं विदेशी मुद्रा बाज़ार में रूबल की डॉलर के मुक़ाबले जोरदार गिरावट देखने को मिली– 01 जनवरी को एक डॉलर के बदले 74.79 रूबल चलते थे लेकिन अब यह दर गिरकर 89.74 तक आ गई है। यह भी भय है कि अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से रूस के बैंकों को निलंबित कर दिया जाएगा। देश में नगद की कमी न हो जाए, इसलिए उसने 2 लाख करोड़ रूबल अर्थव्यवस्था में जारी करने का ऐलान किया, जो दो किस्तों में किया जाना है। इसके अतिरिक्त,

उसने विदेशी मुद्रा बाज़ार में व्यापक स्तर पर मध्यस्थता की।

उधर यूक्रेन में केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा बाज़ार संबंधित सभी कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ गई। विदेशी मुद्रा बाज़ार में राष्ट्रीय मुद्रा (हर्व्निया) में भारी गिरावट हुई – वह 27.30 (01 जनवरी) से गिर कर 29.78 के स्तर पर आ गई। उसने युद्ध से संबंधित व्ययों के अतिरिक्त अन्य सभी विदेशी भुगतानों पर रोक लगा दिया है। नगद की व्यवस्था में रुकावट के कारण उसने देशवासियों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम का प्रयोग करने की सलाह दी है। केंद्रीय बैंक ने लोगों को आश्वस्त किया है कि इलेक्ट्रोनिक भुगतान एवं निपटान प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है। इन सबके बीच यूक्रेन के पड़ोसी राष्ट्र पोलैंड ने यह कहा है कि उसका केंद्रीय बैंक यूक्रेन के केंद्रीय बैंक की हरसंभव सहायता करेगा।

रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया मौद्रिक नीति में बदलाव की ओर अग्रसर

सामान्य स्थितियों में केंद्रीय बैंक आर्थिक व्यवस्था को चलनिधि के माध्यम से प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का तंत्र कुछ इस तरह से चलता है – केंद्रीय बैंक वित्तीय संस्थाओं के साथ सरकारी या अन्य बॉन्ड का क्रय अथवा विक्रय खुले बाज़ार में करता है– लेकिन दर वह निश्चित करता है। वित्तीय संस्थाएं दर के बारे में मोल-भाव नहीं कर सकती हैं– लेकिन वे केंद्रीय बैंक से खरीदने या बेचने के लिए बाध्य नहीं होतीं। एक निर्धारित समय के बाद बेचे गए बॉन्ड वापस खरीद लिए जाते हैं और खरीदे गए बॉन्ड पुनः उसी संस्था को बेच दिये जाते हैं, जिससे वे खरीदे या बेचे गए थे। इस तरह खरीद-फरोख्त की दर ब्याज की दर जैसा काम करती है। यदि केंद्रीय बैंक ने वित्तीय संस्थाओं से बॉन्ड खरीदे, तो वह बदले में उन्हें मुद्राएँ देता है– इससे अर्थव्यवस्था में चलनिधि बढ़ जाती है। यदि केंद्रीय बैंक बॉन्ड बेचे, तो इसका ठीक उल्टा होता है। केंद्रीय बैंक के द्वारा दी जाने वाली यह सुविधा बाज़ार में चल रही ब्याज दर को एक सीमित दायरे में बांधने का काम करती है। इस संदर्भ में, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने ऐलान किया है कि वह इस व्यवस्था में कुछ रद्दोबदल करने वाला है– जहां अब तक दरें तय होती थीं, वहीं भविष्य में दरें 'फ्लोटिंग' होंगी।

रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के उप गवर्नर ने बताया कि भविष्य में खुले बाज़ार में केंद्रीय बैंक जिस दर पर खरीद-फरोख्त करेगा व पहले की तरह तय नहीं होंगी बलकी दरें एक 'रेफ्रेन्स रेट' अर्थात 'तुलना के लिए चयनित दर' से एक निश्चित दूरी बनाए रखेंगी। यह रेफ्रेन्स रेट अंतर-बैंकीय बाज़ार में चल रही दर होगी और निश्चित दूरी लगभग 0.05% की होगी। बैंक ने यह भी कहा कि ऐसे लेन-देन की मियाद चार हफ्तों की होगी। केंद्रीय बैंक ने बताया कि इस तरह की पद्धति बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय केंद्रीय बैंक में पहले से ही व्यवहार में आ रही है।

तुर्की में केंद्रीय बैंक के स्थानांतरण पर विवाद

तुर्की की मौजूदा राजधानी अंकारा शहर है और यहीं उसका केंद्रीय बैंक भी स्थित है। वर्ष 2019 में देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि देश का केंद्रीय बैंक अंकारा से हटकर इस्तांबुल में रहेगा। इस्तांबुल शहर में वित्तीय जगत के लिए एक विशेष ज़िला बनाया जा रहा है, और राष्ट्रपति का ध्येय है कि वह न्यूयॉर्क, लंदन और दुबई के वित्तीय जिलों को टक्कर देने वाला होगा। वहीं केंद्रीय बैंक भी रहेगा।

फरवरी माह के मध्य में बैंक के गवर्नर ने सभी कर्मचारियों को ईमेल द्वारा आदेश दिया कि इसी वर्ष, जून और सितंबर माह के दौरान, उन सभी को बैंक के नए परिसर में जाना होगा। लेकिन तुर्की के एक समाचार चैनल ने खबर दी है कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने इसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर दी है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि बैंक का नया परिसर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है और कर्मचारियों को वहाँ जाने में संकोच हो रहा है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि केंद्रीय बैंक में कर्मचारियों का मनोबल बहुत गिर गया है। हालांकि इन खबरों की पुष्टि होना अभी बाकी है, परंतु इसका कारण यह बताया जा रहा है

कि बैंक की कमान संभालने के बाद गवर्नर ने अनेक कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया लेकिन वे बाद में फिर तैनात कर लिए गए– थोड़े समय के लिए, जब तक उनकी जगह लेने के लिए अन्य अधिकारी आ जाएँ। बैंक के कार्यों पर अत्यधिक राजनैतिक दबाव की बातें भी की जा रही हैं। पिछले कुछ समय में केंद्रीय बैंक के तीन-तीन गवर्नर और कुछ उप गवर्नर बर्खास्त किए जा चुके हैं। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि मंहगाई दर 114.9% तक पहुंच गई है और पिछले एक वर्ष में विदेशी मुद्रा बाज़ार में तुर्की की 'लीरा' मुद्रा 44% गिर चुकी है।

मुद्रास्फीति का स्वरूप अमेरिका और यूरोप में भिन्न

यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति के विश्लेषण में यह बताया है कि हालांकि अमरीका एवं यूरोप दोनों में मुद्रास्फीति की दर लक्ष्य से ऊपर है, परंतु दोनों के द्वारा महसूस की जा रही मंहगाई में विविधताएँ ध्यान देने योग्य हैं। दोनों केंद्रीय बैंकों के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य एक ही है– 2% प्रति वर्ष, लेकिन वास्तव में अमरीका में महंगाई की दर 7.5% तक पहुँच चुकी है और यूरोप में वह 5.1% तक पहुंची है। अमरीका में ऐसी महंगाई सत्तर के दशक के बाद से देखी नहीं गई है।

लेकिन वहाँ आर्थिक मंदी का दौर काफी पीछे छूट चुका है– देश के सकल घरेलू उत्पादन ने कोरोना महामारी के पहले के स्तर की बराबरी साल 2021 की दूसरी तिमाही में ही कर लिया था। इन सबसे बेरोजगारी में कमी आई और वेतनों के बढ़ने का सिलसिला शुरु हो सका– परन्तु इससे मंहगाई भी सर उठाने लगी। ऊर्जा संबंधी कीमतों के बढ़ने का भी प्रभाव है, लेकिन उसकी महत्ता थोड़ी कम है। इसके बनिस्पत, यूरोप में आर्थिक मंदी का माहौल देर तक बना रहा। यूरोप में सकल घरेलू उत्पादन ने कोरोना महामारी के पहले के स्तर की बराबरी साल 2021 की चौथी तिमाही में किया। बेरोजगारी में गिरावट भी कम हुई और वेतनों के बढ़ने का प्रभाव भी सीमित ही रहा। यूरोप में ऊर्जा संबंधित दामों की वृद्धि मुद्रास्फीति का एक बड़ा कारक है। अर्थात, अमरीका में 'कोर इन्फ्लेशन' यूरोप से ज़्यादा है। इसका हासिल यह है कि यूरोप के केंद्रीय बैंक के लिए मंहगाई को वश में करना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और इतना आपातकालीन भी नहीं हैं जितना कि अमरीका के केंद्रीय बैंक के लिए।

बैंक ऑफ जापान ने बॉन्ड के असीमित क्रय की योजना बनाई

जापान में केंद्रीय बैंक से उम्मीद की जाती है कि वह मुद्रास्फीति को 2% की दर पर संभाले रखेगा। दूसरे शब्दों में, 2% मंहगाई उसका लक्ष्य है। परंतु इसके साथ ही उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह दस वर्षों की मियाद वाले सरकारी बॉन्ड की ब्याज दर को 0% पर बनाए रखेगा, हालांकि इसमें दर के 0.25% अधिक या कम हो जाने की भी इजाज़त है। असल में, एक लंबे अंतराल से देश में मंहगाई की दर 2% से बहुत कम चल रही है, और केंद्रीय बैंक द्वारा उदारवादी मौद्रिक नीति को अपनाने की नीति तय लग रही थी। लेकिन इस बीच दस वर्षों की मियाद वाले सरकारी बॉन्ड की ब्याज दर में चढ़ाव दिखने लगा। कारण यह था कि निवेशक सरकारी बॉन्ड को बेचने में रुचि दिखा रहे थे (जिसके कारण बॉन्ड की ब्याज दर 0% से ऊपर उठने लगी थी)।

निवेशकों की उदासीनता को थामने के मकसद से बैंक ऑफ जापान ने यह निर्णय लिया कि वह बिना किसी सीमा निर्धारित किए सरकारी बॉन्ड की खरीद करेगा, जिससे गिरते दाम संभलेंगे और ब्याज दर पर नकेल लगाई जा सकेगी। बैंक इसके लिए ऐसी कीमत देने को तैयार है जिससे ब्याज की दर 0.25% तक पहुँच जाएगी। बैंक ने वित्त बाज़ार के सभी सहभागियों से साफ किया है कि अभी समय नहीं आया है कि वह अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह मुद्रास्फीति से जूझने के लिए कमर कसे। इसके लिए पहले मंहगाई की दर को 2% के स्तर पर टिकना अनिवार्य होगा। यहाँ ग़ौरतलब है कि जापान में मुद्रास्फीति की दर तय करते समय यों तो सभी तरह के दाम शामिल किए जाते हैं, परंतु ताज़ी खाद्य सामग्री के दामों को इससे अलग रखा

जाता है। 2021 के दिसंबर महीने में महंगाई दर 0.5% थी और इस साल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 1% तक पहुंच जाएगी, और फिर वह वहाँ बनी रहेगी, लगभग एक और साल के लिए।

लाइबेरिया में स्वयं केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंक नोटों की होली जलायी गयी

फटे-पुराने बैंक नोटों को अर्थव्यवस्था से निकाल कर उनको पूर्णतया नष्ट कर देना (जलाकर या उनके छोटे-छोटे टुकड़े करके) और उनकी जगह नए नोटों को जारी करना केंद्रीय बैंकों के लिए रोज़मर्रा का काम है। लेकिन पश्चिमी अफ्रीका के देश लाइबीरिया में यही विषय तनाव का कारण बनकर सामने आया है। कुछ वर्षों से केंद्रीय बैंक के वरिष्ठ अधिकारी कहते रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में नए बैंक नोटों की कमी है। इसके निवारण के लिए उन्होने अमरीका की 'क्रेन' कंपनी को नए नोट तैयार करने का काम भी सौंपा, लेकिन इसके बाद वर्ष 2018 से यह बात निकली कि केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने नए छपे नोटों का एक हिस्सा धोखे से अपनी जेबों में भर लिया। आरोप लगाने वाले कुछ समाचार संस्थाएं एवं चंद राजनेता थे।

इसी तरह इस बात ने भी तूल पकड़ लिया कि केंद्रीय बैंक के आला अफसरों ने फटे-पुराने नोटों को अर्थव्यवस्था से निकालने के नाम पर खूब धांधली की और निजी तौर पर मोटा मुनाफा कमाया। नतीजा यह हुआ कि देश के राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक के दो-दो गवर्नरों को पद से हटा दिया और भ्रष्टाचार के आरोप में कई सारे मुकदमे भी शुरू कर दिये। अमरीका की सुरक्षा एजेंसी 'क्रोल' को भी लाया गया ताकि वह भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करे। इस एजेंसी ने यह बताया कि केंद्रीय बैंक के काम करने का तरीका अच्छा नहीं था और उसमें पारदर्शिता की कमी थी, लेकिन भ्रष्टाचार का प्रमाण उसे नहीं मिला। मुकदमे चले लेकिन भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर केंद्रीय बैंक ने नए बैंक नोट जारी करने की योजना बनाई है। बैंक नए नोट जारी करने के पहले प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा सभी को इस बात से अवगत कराता है कि वह कितने नोट और किस तरह के नोट कब जारी करने वाला है। पारदर्शिता की ऐसी ही कोशिश में फरवरी माह की शुरुआत में उसने बकायदा ऐलान करके दर्शकों के समक्ष करीबन 60 करोड़ लाईबेरियाई डॉलर के फटे-पुराने बैंक नोटों को आग के सुपुर्द कर दिया। जनता के प्रतिनिधियों और राजनेताओं ने कार्यवाही से संतुष्टि प्रकट की।

फेसबुक के 'डीएम' कृत्रिम मुद्रा का पटाक्षेप

वर्ष 2019 में फेसबुक ने एक कृत्रिम मुद्रा जारी करने का मन बनाया। मुद्रा का नाम रखा गया– 'डीएम'। यह मुद्रा बिटकॉइन जैसी कृत्रिम मुद्रा से कुछ अलग किस्म की होने वाली थी। बिटकॉइन एक ऐसी कृत्रिम मुद्रा है जिसके मोल को पुख्ता करने वाली कोई ठोस चीज़ नहीं है– न तो इसके बदले सोना मांगा जा सकता है, न कोई और मूल्यवान वस्तु, न ही यह किसी सरकार या संस्था की जिम्मेवारी है। ऐसे में बिटकॉइन को बड़ा जोखिम-भरा निवेश माना गया है।

फेसबुक की परिकल्पना थी कि वह ऐसी कृत्रिम मुद्रा बनाएगा जिसमें मुद्रा के पीछे कुछ मूल्यवान निवेश हों या मूल्यवान वित्तीय आस्तियां हों (जैसे– अमरीकी सरकार के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड इत्यादि)। यदि ऐसी मुद्रा का धारक कभी चाहे तो वह फेसबुक या जारीकर्ता के पास जाकर मुद्रा के एवज़ में आस्तियों को प्राप्त कर सकेगा। इस तरह की कृत्रिम मुद्रा को बाद में 'स्टेबल-कॉइन' की संज्ञा दी गई। परंतु विनियमन संस्थाओं ने इसके प्रति प्रारम्भ से ही काफी कठोर रुख अपनाया। फेसबुक ने उनके साथ वार्तालाप करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में कई संशोधन भी किए लेकिन फिर भी उसे यह दिखने लगा कि शायद इसे आगे बढ़ा पाना संभव नहीं होगा। फेसबुक ने स्विट्ज़रलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका, दोनों ही देशों में कोशिश की परंतु उसके हाथ निराशा ही लगी। जनवरी माह के अंत में फेसबुक ने प्रोजेक्ट को पूर्णतया रोकने का निश्चय कर लिया। फिर उसने यह भी ऐलान कर दिया कि वह 'डीएम' से जुड़ी सारी आस्तियां इत्यादि 'सिल्वरगेट कैपिटल' नाम की एक संस्था को जल्दी ही बेच देगा और इस प्रोजेक्ट से पूरी

तरह अलग हो जाएगा। इस तरह कम-से-कम फेसबुक के लिए 'डीएम' का पटाक्षेप हो गया।

पाकिस्तान की संसद में केंद्रीय बैंक की स्वतन्त्रता पर बिल पारित

आर्थिक समस्याओं से घिरे पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) से सहायता मांगी तो उसने 600 करोड़ अमरीकी डॉलर का ऋण 39 माह की मियाद के लिए देने का प्रस्ताव रखा- लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी मानने को कहा। इन शर्तों में से एक यह थी कि देश की सरकार बजट के घाटे को केंद्रीय बैंक के द्वारा नोटों की छपाई करके पूरी न करे। एक अन्य शर्त यह थी कि पाकिस्तान विदेशी बाज़ार में चल रहे घरेलू मुद्रा के भाव को बाज़ार के द्वारा निर्धारित होने की छूट देने के फैसले पर अटल रहे। इन शर्तों को वर्ष 2019 में रखा गया था पर इन पर अमल हाल तक नहीं हो पाया था। फिर, नवंबर 2021 में आईएमएफ़ ने इनकी याद दिलाते हुए यह कहा कि वह उम्मीद रखता है कि देश के केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति लक्ष्य देकर इस काम के लिए सरकार से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। देश की सरकार 'स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट, 1956' के संशोधन में जुटी थी, परंतु केंद्रीय बैंक और देश के वित्त मंत्रालय में कुछ मामलों को लेकर विवाद छिड़ गए, जिससे कार्य में देरी होने लगी। अंत में पिछले वर्ष के मार्च माह में जाकर सरकार के मंत्री परिषद ने इस संशोधन को संसद में लाये जाने पर मंजूरी दी। संसद में संशोधन कांटे की टक्कर के बाद ही पारित हो सका। इस संशोधन से केंद्रीय बैंक के लिए सबसे ज़रूरी काम मंहगाई पर नियंत्रण करना होगा, साथ ही आर्थिक स्थिरता को कायम रखना उसका लक्ष्य होगा। सरकारी आर्थिक नीतियों की मदद वह तभी कर सकेगा जब मंहगाई नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता पर कोई उल्टा असर न हो।

अन्य कई बदलाव भी होंगे, जिनमें सबसे विवादित बदलाव है कि सरकार या कोई और संस्था केंद्रीय बैंक को आदेश जारी नहीं कर सकेंगी। केंद्रीय बैंक के गवर्नर तथा अन्य अधिकारियों पर उनके बैंक से जुड़े कार्यों के लिए मुकदमे नहीं चलाये जा सकेंगे। विपक्ष के नेताओं ने इस संशोधन की भर्त्सना की है और वादा किया है कि यदि उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिला तो वे इसे निरस्त कर देंगे। वे आरोप लगा रहे हैं कि उनके देश का केंद्रीय बैंक मानो आईएमएफ़ का बैंक बन गया हो।

***

लेखकों से / पाठकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है। हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए।

बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाजार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा-बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण, मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

1. क. आपके द्वारा भेजा गया लेख बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। यह भी सुनिश्चित करें कि लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।

ख. लेख में किसी समसामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर, समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।

ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।

घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।

ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।

2. लेख में नवीनतम और अद्यतन तथ्यों एवं आँकड़ों का उपयोग करें और उनके स्रोत/संदर्भ/वेबपेज/साइट/लिंक आदि का एकदम स्पष्ट उल्लेख करें।

3. क. लेख न्यूनतम 05 पृष्ठों के हों तथा **यूनिकोड मंगल फॉन्ट (12 प्वाइंट)** में ही टंकित हों। **पीडीएफ़ के साथ वर्ड फ़ाइल भी संलग्न करें।**

ख. वह कागज की एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।

ग. लेख में यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों। **भाषा सरल-सहज हो और व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियाँ बिल्कुल न हों।**

घ. लेख chintananuchintan@rbi.org.in / rajbhashaco@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर ही भेजने की व्यवस्था की जाए।

4. इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

5. लेखक अपने पत्राचार का पता, फोटो, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन / मोबाइल नंबर अवश्य दें।

***

पंजीकरण संख्या: 47043 / 88

आज़ादी का अमृत महोत्सव